



क्या महिला अपराधियों में भय
पैदा कर पाएंगी शबनम की फांसी ?

मेडिकल लापरवाही न होने
पर भी मरीज मुआवजे का हकदार



डाक पंजीयन क्रमांक-एमपी/आईडीसी/1117/2019-2021

सेन्सर टाइम्स

www.censortimes.com

वर्ष-18
अंक-12
मासिक
1 मार्च 2021
पृष्ठ-12
मूल्य- पाँच रुपए

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकारण

नौकरशाही का भ्रष्टाचार चरम पर



**भ्रष्टाचार का पर्दाफाश से बचने के लिये
इलीगल तरीके से लीगल
आफिसर नियुक्त**



**पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में इस
बार तृणमूल कांग्रेस की राह आसान नहीं**

पेज 03



**दुख है कि भारत में लोकतंत्र
मर गया है-राहुल गांधी**



पेज 12

अन्दर के पृष्ठ पर....

**नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में
सभी संवैधानिक पदों पर
पति-पत्नी का कब्जा**

पेज 07

**पश्चिम बंगाल विधानसभा
चुनावों में इस बार तृणमूल
कांग्रेस की राह आसान नहीं**

पेज 03

**कन्हैयाला मीणा ने मुकेश कुमार सिन्हा
और स्वयं के वेतन निर्धारण में हेराफेरी
कर बेइमानीपूर्वक छल किया**

पेज 06

**ऐसा क्या खास है लीगल
मैटर्स में या लीगल अधिकारी
की नियुक्ति में**

पेज 11

सम्पादक की कलम से

ल गम्भा 14 हजार करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक प्रात्यर्पण का रास्ता हाल ही में साफ हो गया है। नीरव मोदी के बिटेन से के खिलाफ अपना मुकदमा हार गया। लंदन की एक अदालत ने कोरोना संक्रमण, खराब स्वास्थ्य, कमज़ोर साक्ष्य, ज्यादा नहीं मिलने की आशंका और भारतीय जेलों में खराब स्थिति जैसे नीरव मोदी के तर्कों को खारिज कर उसके प्रात्यर्पण की अनुमति दे दी है। वैसे नीरव के पास ज्यादातर के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का रास्ता खुला है। प्रात्यर्पण के खिलाफ नीरव मोदी की दलीलों को ना मानते हुए जिला जज सैमुअल गूज़ी ने कह कि नीरव मोदी का प्रात्यर्पण पूरी तरह से मानवाधिकार की परीक्षी में है। भारत में नीरव मोदी को ज्यादा नहीं मिलने की आशंका की के पुरता प्रमाण के कोई ठोस सबूत या वजह नहीं हैं। जज ने फैसले में कह कि लाइन ऑफ केंटिंग को भुनाने में बैंक के अधिकारी समेत अन्य आरोपितों की भिलीभगत के पुरता साक्ष्य मौजूद है। यहाँ तक कि खुद नीरव मोदी भी पीएनबी के साथ पत्र-व्यवहार में भारी बकाया होने और उसे जल्दी चुकाने की बात स्वीकार कर चुका है। जज ने नीरव और उसकी कंपनी के वैध बिजनेस के आधार पर भी संदेह जाताया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि नीरव को फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का अधिकार है। लेकिन उससे पहले बिटेन के संकेट्री ऑफ स्टेट होम अपेटर्स (गृहमंत्री) इस पर विचार करेंगे। मंत्री के पैसले के 14 दिन के भीतर नीरव मोदी हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर सकता है। जनवरी 2018 में पीएनबी के लाइन ऑफ केंटिंग के माध्यम से 14 हजार करोड़ रुपए के घोटाले के खुलासे के बाद नीरव मोदी परिवार सहित विदेश चला गया था। सीबीआई और ईडी ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया था। दिसंबर 2018 में नीरव मोदी के वैश बदलकर लंदन में रहने की पुष्टि हुई थी। मार्च 2018 में नीरव को लंदन में गिरपतार कर लिया था। इसी तरह घोटाले का दूसरा भ्रष्टाचारी मेहुल चोकसी एंटीगुआ फरार हो गया था। सरकार उसके प्रात्यर्पण के लिए भी कूटनीतिक प्रायासों में लगी हुई है। नीरव मोदी के प्रात्यर्पण मामले में बिटेन की अदालत ने कह कि उसकी मानसिक स्थिति लंदन की जेल से मुंबई के आर्थर रोड जेल भेजने के लिए ठीक है। नीरव की कानूनी टीम ने नीरव और उसके परिवार के डिप्रेशन में होने और आत्महत्या की प्रवृत्ति की दलीलें दी थीं। जज ने स्वीकार किया कि लंदन की जेल में रहने से उसकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि प्रत्यर्पण किए जाने से वह आत्महत्या करेगा।

FORM-IV (See Rule 8)

Statement about ownership & other Particulars about Newspaper	
1. Place of Publication	: INDORE
2. Periodicity of its Publication	: MONTHLY
3. Printer's Name Whether citizen of India? (If foreigner, state the country of origin) Address	: RAVI KUMAR POTDAR Yes 72/74, Suyash Vihar, Indore (M.P.)
4. Publisher's Name Whether citizen of India? (If foreigner, state the country of origin) Address	: RAVI KUMAR POTDAR Yes 72/74, Suyash Vihar, Indore (M.P.)
5. Editor's Name Whether Citizen of India? (If foreigner, state the country of origin) Address	: RAVI KUMAR POTDAR Yes 72/74, Suyash Vihar, Indore (M.P.)
6. Names and Addresses of individuals who own the Newspapers and partners of share holders holding more than one per cent of the total capital.	: RAVI KUMAR POTDAR Indore (M.P.) 72/74, Suyash Vihar, Indore (M.P.)

I, RAVI KUMAR POTDAR, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/-

Date : 01.03.2021

Signature of Publisher

तथा महिला अपराधियों में भय पैदा कर पाएगी शबनम की फांसी ?

डॉ. रमेश गाकुर

शबनम को फांसी मिल जाने के बाद एक नई किस्म की बहस हिंदुस्तान में शुरू हो जाएगी। महिला अपराधियों के उन सभी केसों में जिरह के दौरान कोर्ट रुमों में शबनम की फांसी का उदाहरण गूंजा करेगा। शबनम की दुहाई देकर वकील महिलाओं को फांसी देने की मांग जजों से किया करेंगे। कुल मिलाकर शबनम की फांसी एक उदाहरण तो बनेगी ही, साथ ही महिला अपराधियों में डर व महिला अपराध रोकने में काफी हद तक वाहक भी बनेगी। हिंदुस्तान में एक समय था जब बड़े अपराधों में महिलाओं का बोलबाला हुआ करता था। बीड़ों में फूलन देवी का आतंक हो या सीमा परिहार जैसी दस्यु सुंदरी का खौफ! शायद ही कोई भूल। वैसे, उतने खाफनाक अपराध बीते कुछ वर्षों में कम हुए। पर, दूसरे किस्म के अपराधों में बाढ़ आ गई। जैसे, प्रॉपर्टी के नाम पर अवैध धंधेबाजी, शादी-ब्याह के नाम पर ठां, जिस्मफरोशी, स्मैक व नशीले पदार्थ बेचना, मेट्रो या सार्वजनिक स्थानों पर पॉकेटमारी करने में महिलाओं की सक्रियता ज्यादा आने लगी है।

महिलाओं से जुड़े छोटे अपराधों को छोड़कर बड़े अपराधों की बात करें तो सोन पंजाबन, शबाना मेमन, रेशमा मेमन, अंजलि माकन, शोभा अय्यर, समीरा जुमानी के नामों को भी शायद कोई भूल पाए। इनमें कई नाम ऐसे हैं जिनका अपराध फांसी के लायक रहा है। लेकिन भारत के उदाहरण से ये बच गईं। या फिर इन्हें बचा लिया गया। शबाना और रेशमा मुंबई बम कांड की अभियुक्त हैं जो

दोनों क्रमशः अयूब मेमन व टाइगर मेमन की पत्नियाँ हैं। समीरा जुमानी जहां पासपोर्ट रैकेट की अभियुक्त है वही, अंजलि माकन का बैंक से कोरेंटों का चूना लगाकर फरार हो जाना और शोभा अय्यर का ल्यॉसमेंट एंजेंसी की आड़ में बेरोजगारों को रोज़गार दिलाने के नाम पर अरबों लेकर चंपत हो जाना आदि भी बड़े अपराध हैं।

आजादी से अब तक खुदा-न-खास्ता किसी महिलाओं को फांसी दी गई होती, तो निश्चित रूप से राजीव गांधी जैसी नेताओं की कातिल अभी तक फांसी के तख्तों पर झूल गई होती। अमरोहा की शबनम ने साल 2008 के अपैल महीने में प्रेमी के सहयोग से अपने समूचे परिवार को मौत दे दी थी। कुलहाड़ी से काटते वक्त



उसे रसी भर रहम नहीं आया कि वह अपनों का ही खून बहा रही है। अपराध निश्चित रूप से दया करने वाला नहीं है। अपने प्यार को पाने के लिए वह अपनों की कैसे बैरन बनी, जिसका खुलासा उसने घटना के कुछ समय पश्चात किया था और अपराध बोध भी हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके अपराध ने एक दुनिया का अंत किया था।

12-13 साल के निचले अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हिचकोले मारता रहा। दया याचिका राष्ट्रपति के चौखट तक भी पहुंची, लेकिन कोर्ट द्वारा मुर्कर फांसी बरकरार रही। फांसी देने का रास्ता लगभग ही पूरा करेगी। अंग्रेजी हुकूमत ने वर्ष 1871 में मधुरा में पहला महिला फांसीघर बनाया था। आजादी की लड़ाई लड़ने वाली तब कई महिला क्रांतिकारियों को फांसी देना अंग्रेजों ने मुर्कर किया था, लेकिन महात्मा गांधी व अन्य नेताओं के विरोध के बाद अंग्रेज किसी महिला को फांसी नहीं दे पाए। उस फांसी घर का शायद पहली बार इस्तेमाल होगा।

शबनम को शायद उत्तर प्रदेश के मधुरा में बने उसी फांसीघर में ही फांसी दी जाएगी जो बीते डेढ़ सौ वर्षों से अपने पहले मेहमान का इंतजार कर रहा है। फांसीघर का लंबा इंतजार शबनम ही पूरा करेगी। अंग्रेजी हुकूमत ने कैसी घर देना होता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व अन्य राज्य भी पीछे नहीं हैं, वहाँ भी 49,333 महिलाएं विभिन्न आरोपों में गिरपतार हुईं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व अन्य राज्य भी पीछे नहीं हैं। क़ाबिले गैर हो कि नारी जगत का अपराध में परामर्शदार बनी रहती है। शबनम जैसे और भी बहुतेरी घटनाएं विभिन्न राज्यों में घट रही हैं। उन सभी केसों में ये फांसी महिलाओं के अपराध न करने की सीख देने के साथ-साथ बदलाव को सुधरने का बाहक भी बनेगी।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डाले तो दिखता है कि महिलाएं अपराध जगत में कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। सिर्फ एक वर्ष में महाराष्ट्र में 90,884 महिलाओं को विभिन्न अपराधों में पकड़ा गया। वहीं, आंध्र प्रदेश अब्बल नंबर पर है जहाँ 57,406 महिलाओं ने विभिन्न श्रेणियों में अपराध किया। मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है, वहाँ भी 49,333 महिलाएं विभिन्न आरोपों में गिरपतार हुईं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व अन्य राज्य भी पीछे नहीं हैं। क़ाबिले गैर हो कि नारी जगत का अपराध में परामर्शदार बनी रहती है। शबनम जैसे और भी बहुतेरी घटनाएं विभिन्न राज्यों में घट रही हैं। उन सभी केसों में ये फांसी संबल देगी। साथ ही ऐसी सजा महिलाओं के भीतर डर पैदा करेगी और सफल संदेश का वाहक भी बनेगी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में इस बार तृणमूल कांग्रेस की राह आसान नहीं

सुरेश हिन्दुस्थानी

कभी वामपंथी राजनीति का मजबूत गढ़ रहे पश्चिम बंगाल राज्य में गहे तक पांच जमाए ममता बनर्जी के राजनीतिक अस्तित्व की परंतु उधेड़ने ली हैं। वैसे तो पिछले लोकसभा चुनाव के परिणामों ने ममता बनर्जी की छत्रशत्रा में पनप रही तृणमूल कांग्रेस के धारातलीय आधार को यह स्पष्ट संकेत दे दिया था कि तृणमूल कांग्रेस के विजयी रथ पर कुछ हद तक लगाम लग चुकी है। बंगाल में शून्य से शिखर पर जाने का जीतोड़ प्रयास करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने ममता के किले को उस स्थान से खिसकाने का प्रयास किया है, जो पिछले 15 वर्षों से बंगाल की राजनीति में ममता ने बनाया था। हालांकि प्रारंभ में ममता बनर्जी भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतात्रिक गठबंधन का हिस्सा रहीं, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के शासन को जड़ से उखाड़ फेंका और ममता बनर्जी के सिर पर सत्ता का ताज स्थापित हो गया। इसके बाद ममता बनर्जी ने जिस प्रकार की राजनीति की, उसके चलते भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन बनकर सामने आ गए। जिसकी परिणिति स्वरूप आज दोनों दल एक दूसरे को पटखनी देने के दावेपैक खेल रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में लोकसभा के चुनाव के बाद ही भाजपा की बढ़ती ताकत का अहसास हो गया था, वहीं ममता बनर्जी की तानाशाही प्रवृत्ति का शिकार बनी तृणमूल कांग्रेस डूबता जहाज बनने की ओर अग्रसर होती दिखाई दे रही है। हालांकि यह कितना सही साक्षित होगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता आज ममता बनर्जी से किनारा करने की प्रतीक्षा की ताक में है। अभी हाल ही में ममता बनर्जी के खास माने जाने वाले और तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक अस्तित्व में लाने वाले दिग्गज नेता दिनेश त्रिवेदी ने तृणमूल कांग्रेस से छलांग लाना के बाद जो वक्तव्य दिया है, वह निश्चित ही इस बात का



संकेत करने के काफी है कि अब ममता बनर्जी की आगे की राजनीतिक राह आसान नहीं है। वैसे तृणमूल कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का अध्ययन किया जाए तो यही परिलक्षित होता है कि इसके लिए स्वयं ममता बनर्जी ही जिम्मेदार हैं। तृणमूल कांग्रेस में अपने पारिवारिक सदस्यों का महत्व देने के बाद पार्टी को सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने वाले वरिष्ठ नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। कुछ नेता खुलकर बोलने लगे हैं तो कुछ अभी समय की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सबाल यह आता है कि जब इन्होंने बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस में अपमानित महसूस कर रहे हैं, तब छोटे कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी, इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीति का अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा कई बड़े मंत्री भी लगातार यही हैं। अभी व्यक्ति को लेकर भयभीत हैं। यह भय सत्ता चले जाने का है। इसके बाद भी ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीति का अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस की सर्वेसर्वा ममता बनर्जी भविष्य की राजनीति को लेकर भयभीत हैं। यह भय सत्ता चले जाने को लेकर भयभीत हैं। यह भय सत्ता चले जाने का है। इसके बाद भी ममता बनर्जी

लोकतात्रिक रूप से व्यापक समर्थन भी मिला है। यहां यह कहना तर्कसंगत ही होगा कि भारत की जनता ने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर ही समर्थन दिया है। इसलिए ममता बनर्जी के कदम को अलोकतात्रिक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

वर्तमान में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के समक्ष अपना प्रदर्शन दोहराने की बड़ी चुनौती है। यह चुनौती किसी किसी और ने नहीं, बल्कि उनके करीबियों ने ही पैदा की है। प्रायः सुनने में आता है कि तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नेता अपने विरोधी राजनीतिक दल के नेता को सहन करने की मानसिक स्थिति में नहीं है। सबाल यह आता है कि वर्तमान राजनीतिक दल के नेता को सहन करने की मानसिकता का निर्माण किसने किया? स्वाभाविक ही है कि वरिष्ठ नेतृत्व के संरक्षण के बिना यह संभव ही नहीं है। इसी कारण बंगाल में लगातार होती राजनीतिक हिंसा में सीधे-सीधे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आरोपी समझ लिया जाता है। ऐसे घटनाक्रमों को देखकर जो व्यक्ति सात्विक और देश हितैषी राजनीति करने को ही असली रस्ता मानते हैं, वे तृणमूल कांग्रेस से दूरी बनाने की मानसिकता में आते जा रहे हैं। अभी तक कई दिग्गज राजनेता तृणमूल से दामन छुड़ा चुके हैं। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कथनों पर भरोसा किया जाए तो यह संख्या और बढ़ने वाली है। गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि ममता बनर्जी का यही व्यवहार रहा तो बंगाल के विधानसभा चुनावों के समय तक अकेली खड़ी रह जाएंगी। अमित शाह द्वारा यह कहना कहीं न कहीं यहीं संकेत कर रहा है कि भाजपा अपेक्षित सफलता के प्रति आशान्वित है।

बंगाल में चलेगा मोदी का जादू या फिर लौटेंगी ममता बनर्जी?

पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा कई बड़े मंत्री भी लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं और वहां चुनावी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बंगाल में बिगुल किसका बजेगा?

है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बंगाल में इनका बिगुल किसका बजेगा?



बार 2016 की तरह नहीं चल सकेगा। 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 211 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार इस ओपिनियन पोल के मुताबिक उसे महज 151 सीटें ही मिल रही हैं।

बात अगर भाजपा की करें तो उसे 117 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 117 सीटों

के साथ भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है। 2016 के मुताबिक एक जबरदस्त फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2016 में भगवा पार्टी को सिर्फ 3 सीटें ही मिल पाई थी। भाजपा को उम्मीद है कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे उसके बोटों में इजाफा होगा और उनकी पार्टी ममता बनर्जी को कड़ी टकर दे पाएंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 18 सीटें मिली थीं। पार्टी के बोट परसेटेज में भी इजाफा देखा जा रहा है। अब बात तीसरे विकल्प यानी कि कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन की करें तो इस गठबंधन को महज 24 सीटें ही मिलती दिखाई दे रही हैं।

इस साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने हैं। सबकी दिलचस्पी इसी बात में है कि आखिर इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार होगी। क्या ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो पाएंगी या फिर भाजपा को उसके मेहनत का परिणाम मिलेगा? ममता बनर्जी जहां लोगों को लुधाने के लिए नए-नए योजनाओं की शुरुआत कर रही हैं और अपने कामों को गिनवा रही हैं। वहीं भाजपा ममता सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। ममता बनर्जी और पार्टी के सभी बड़े नेता पर जटिलता देख रहे हैं। भाजपा की परिणामताका अध्ययन किया जाए तो यही व्यवस्था को लेकर भयभीत है। यह भय सत्ता चले जाने का है। इसके बाद भी ममता बनर्जी

है। 2016 में गठबंधन को 44 सीटें मिली थीं। अन्य के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं।

आंकड़ों पर नजर डालें तो जाहिर सी बात है कि भाजपा ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टकर देती दिखाई दे रही है। हालांकि, भाजपा के उखाड़ फेंकने वाले दावे पर फिलहाल सहमत नहीं हैं तभी तो टीएमसी को 151 सिल पर मिलती दिख रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी एक बार सत्ता में फिर से काबिज हो सकती है। हालांकि यह बात भी गौर करने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी चुनाव प्रचार में नहीं गए हैं। बिहार चुनाव में भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले ही चुनाव का रुख मोड़ दिया था। ऐसे में पौएंग के चुनावी मैदान में उतरने के बाद नतीजों में बदलाव देखने को मिल सकता है और शायद भाजपा इसी की उम्मीद भी कर रही है।

कवर स्टोरी : रवि कुमार

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकारण नौकरशाही का भ्रष्टाचार चरम पर



भ्रष्टाचार का पर्दाफाश से बचने के लिये

इलीगल तरीके से लीगल आफिसर नियुक्त

इन्दौर-कहावत है 'खुदा मेरेहबान तो गदह पहलवान'। मूल कहावत में 'गदह' नहीं 'गदा' शब्द था फारसी में 'गदा' का अर्थ होता है भिखारी/निर्धन व्यक्ति/साधारण व्यक्ति अर्थात् यदि खुदा मेरेहबानी करें तो कमजोर व्यक्ति भी ताकतवर हो सकता है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) में यही परिपाटी चल रही है। इस विभाग के इन्दौर स्थित कार्यालय में सर्वेसर्वा 'खुदा' है, मुकेश कुमार सिन्हा और उनकी पत्नी सुमन सिन्हा व 'गदह' है कहन्हायला मीना। हाल में ही सेन्सरटाइम्स को इस विभाग में प्रायोजित किये जा रहे भ्रष्टाचार की जानकारी मिली। जिसकी पड़ताल करने पर कई चैकाने बाले तथ्य सामने आये कि इस विभाग में भ्रष्टाचार दीक्षित की तरह हर जगह व्याप्त है।

हाल ही में नर्मदा नियंत्रण प्रधिकरण (एनसीए) में एक लोगल आफिसर की इलीगल तरीके से नियुक्ति का मामला आया है। पड़ताल में यह तथ्य सामने आया कि एनसीए कार्यालय में पदस्थ निजी सहायक कन्हैयालाल मीना को लीगल आफिसर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका एनसीए कार्यालय प्रमुख मुकेश कुमार सिन्हा व उसी कार्यालय सदस्य के रूप में पदस्थ उनकी पत्नी सुमन सिन्हा की है। इन्होंने व्यक्तिगत स्वर्थ के लिये अपने चेहते निजी सहायक को लीगल आफिसर बनाने के लिये विभाग के नियम कायदों एवं भारत सरकार के परिपत्रों की अनदेखी कर मीना को लीगल आफिसर के पद पर नियुक्ति कर दिया। इस मामले की नीति वर्ष 2017 में रखी गई।

दिनांक-01.11.2017 को डिप्टी डायरेक्टर
(प्रशासन) ने एक पत्र आफिस आर्डर क्रमांक-ए-24
(1) 2009/एडीएमएन/651 निकाला जिसमें निजी
सहायक कन्हैयाला मीना को एनसीए के अदालत में
चल रहे विचाराधीन मुकदमों के लिये एक लीगल सेल
का गठन किया जिसका आफिसर इंचार्ज कन्हैयालाल
मीना जो एक निजी सहायक था उसको बना दिया। इस
पत्र में यह भी उल्लेख किया कि मीना एकजीकेटीब
मेंबर, एनसीए मुकेश कुमार सिन्हा को सीधे रिपोर्ट
करेगा। एनसीए के नियमानुसार लीगल सेल का गठन
केवल एनसीए बोर्ड के द्वारा राज्यों की अनुमति और
उनकी सहमति के बिना किया ही नहीं जा सकता है।
पत्र प्रशासन में पदस्थ आफिसर विनोद दीयालानी के
हस्ताक्षर से जारी है। इस संबंध में जब दीयालानी से
टेलीफोन पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि यह पत्र
उन्होंने जारी तो किया है उन्हें इस बात की जानकारी
थी कि विभाग में लीगल सेल बनाने के लिये बोर्ड की

अनुमति आवश्यक है लेकिन सिन्हा ने यह पत्र स्वयं बना कर हस्ताक्षर करने को आदेशित किया गया था। यह प्रगट है कि एनसीए प्रमुख सिन्हा ने लीगल सेल का गठन एक विशेष उद्देश्य से किया क्योंकि वे चाहते थे विभाग में प्रायोजित आर्थिक घोटालों की जानकारी गोपनीय रहे।

सिन्हा के निर्देश पर कहन्हैयालाल मीना ने एलएलबी कोर्स के शैक्षणिक सत्र 2017 से 2018 में प्रवेश की अनुमति के लिये दिनांक-18.05.2017 को एक आवेदन दिया। इस आवेदन में मीना ने लिखा कि ओरिएण्टल यूनिवरसिटी मध्यप्रदेश राज्य की एक प्रायवेट यूनिवरसिटी है जिसके एलएलबी कोर्स को यूजीसी एक्ट 1956 की धारा-2-एफ के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी मान्यता प्राप्त है। मीना ने यह भी लिखा कि कॉलेज का समय रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक है। एलएलबी कोर्स के लिये मांगी गई अनुमति का विभाग ने नोटशीट तैयार जिसमें लिपिक ने लिखा कि अनुमति पत्र में कॉलेज का समय रात्रि 8-00 से 10-00 है वह सदैवप्रद है। सिन्हा ने इस बात का स्पष्टीकरण मीना से नहीं मांगकर नोटशीट में लिखा ब्रोचर में देखे। इस पर अनेक टीप्पणी के साथ नोटशीट बनाई गई और अंत में सिन्हा की पत्नी सुमन सिन्हा के अनुमोदन से विभाग के डिप्पी डायरेक्टर प्रशासन द्वारा कार्यालयीन आदेश संख्या-अ-23 (231)/97/प्रशा/1859-66 दिनांक-26 मई 2017 को शर्तों के साथ अनुमति जारी किया जाना

मीना का एलएलबी करने का अनुमति का आवेदन अपने आप में गलत था क्योंकि ओरिएंटल यूनिवर्सिटी को न तो यूजीसी की धारा-2 एफ में न ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त न ही कॉलेज का समय रात्रि रात्रि 8-00 से 10-00 तक का है। मीना ने तथ्यों को छिपाया जो एक लोकसेवक के लिये कदाचार की श्रेणी में आता है। इस अनुमति पत्र से यह प्रगट है कि सिन्हा ने मीना को ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर से रेगुलर एलएलबी करने के लिए अनुमति दी गई थी वह फर्जी थी इसमें यह लिखा है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से घारा 2 एफ में मान्यता प्राप्त है यह साशय गलत है यूजीसी की घारा 2 एफ का अभिप्राय निजी विश्वविद्यालयों से है है जिनको यूजीसी ने भी वित्तीय सहायता देने हेतु चुना है। यूजीसी की वेबसाइट पर मध्य प्रदेश से किसी भी निजी विश्वविद्यालय को घारा 2 एफ के योग्य नहीं पाया गया है। अनुमति पत्र में यह भी लिखा है ओरिएंटल विश्वविद्यालय इंदौर की डिग्री बार काउंसिल से मान्यता प्राप्त है जबकि यूजीसी की वेबसाइट पर मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों की जो आजतन जानकारी प्रदर्शित की गई है उसमें यह उल्लेख है ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर के द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता प्राप्त की जा रही है अर्थात् अभी तक मान्यता नहीं है। मीनाने विभाग के साथ घोखाधड़ी की व गलत तथ्यों की जानकारी देकर अनुमति प्राप्त की।

मीना के इस अनुमति पत्र में यह भी लिखा है कि इस अनुमति के कारण कार्यालय को निर्धारित समय से

पूर्व छोड़ने की अनुमति नहीं होगी तथा प्राधिकारण की इस बेचलर डिग्री इन लॉ उपाधी में आवश्यक अनिवार्य उपस्थिति के सबध में कोई जवाबदारी नहीं होगी। इसमें परीक्षा की तैयारी व परीक्षा की छुट्टी की पात्रता नहीं होने का भी लिखा था। मीना को जारी अनुमति पत्र कितना हास्यास्पद है क्योंकि एनसीए के सिन्हा ने जब उन्हें एलएलबी (फुल टाइम) कोर्स को करने की अनुमति दी तब उन्होंने यह नहीं देखा कि नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में कार्यालय का समय प्रातः 9:30 से शाम के 6: 00 बजे तक का है, और रेंगुलर कोर्स का भी यही समय है।

इस संबंध में विभाग ने 19 जनवरी 2016 में एक परिप्रक्रिया अ-25 (80) 2012-प्रशासन/152 जारी किया जिसमें कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक निर्धारित किया है, और सामान्यतः किसी भी लॉ कॉलेज के फुल टाइम का भी समय यही होता है। एलएलबी का कोर्स करने के लिए जहां फुल टाइम में 75 परसेंट उपस्थिति अनिवार्य है यदि यह उपस्थिति नहीं होती है तो उसे परीक्षा में भाग लेने की पात्रता नहीं होती है। विभाग से मीना को स्टडी लीव भी नहीं ली गई। सूचना के अधिकार के तहत जब इस संबंध में दस्तावेज प्राप्त किये गये जिससे यह खुलासा हुआ कि मीना ने तक एलएलबी कोर्स ज्ञाइन करने के बाद वर्ष 2017 से वर्ष 2020 हर वर्ष लगभग 10 से 15 दिन का अवकाश लिया है। मीना इन तीन वर्ष में लगातार कार्यालय में उपस्थित हुआ है तो वह कॉलेज कैसे गया होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मीना ने कॉलेज में केवल एडमीशन लिया होगा वह कभी भी कॉलेज नहीं गया।

कहैयाला मीना ने लीगल आफिसर बनाये जाने के लिये एनसीए कार्यालय में एलएलबी की मार्कशीट एवं एलएलबी की डिग्री जो ओरिएण्टल यूनिवरसिटी, इन्डौर से रेग्यूलर होकर 75 प्रतिशत अंक से प्रथम त्रेणी में एलएलबी परीक्षा उत्तीर्ण की थी 17 नवम्बर 2020 प्रस्तुत करने के बाद एनसीए के प्रमुख मुकेश कुमार सिंहा उनकी पत्ती सुमन सिंहा, हेमन्त पाठेव सुनिल धाने ने अपने पद का दुरूपयोग कर मीना को लाभ पहुँचाने के लिये विभाग के नियमकायदों को ताक में रखकर फर्जी दस्तावेजों के आधार मीना को अवैधानिक रूप से लीगल आफिसर नियुक्त कर दिया। ये सभी लोकसेवक के पद पर पदस्थ हैं वे अच्छी तरह जानते थे कि मीना की मार्कशीट और डिग्री फर्जी व विभाग को घोखा देने की नीयत से तैयार की है।

भारत के सविधान के अनुच्छेद-2 62 के तहत भारत सरकार ने सितम्बर 1980 को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण नामक एक कारपोरेट बोर्ड का गठन किया। जिसके समस्त निर्णय बोर्ड में लिए गए रिजॉल्यूशन से होते हैं। प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार भर्ती नियम बनाना पोस्ट का क्रिएशन या अबोलिशन केवल बोर्ड के द्वारा ही किए जा सकते हैं। यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी को कोई अतिरिक्त प्रभार दिया जाना है तो वह भी बोर्ड के द्वारा ही दिया जाना है। सभी सदस्यों में सहमति ना होने से निर्णय वोटिंग से होता है यदि दो पक्षों के वोट बराबर हो तो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के चेयरमैन के पास एक एकस्टा कारिंग वोट होता है।

यह कानून की मंशा और स्पष्ट निर्देश है कि यदि किसी मसले पर दो लगातार बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति न्यूनतम कोरम से कम होने पर निर्णित नहीं हो पाया हो तो मसले पर सरकुलेशन के माध्यम से भी राय/सहमति प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यदि मामला विवादित हो तो सदस्य राज्य की इच्छा के विरुद्ध कोई भी मसला सरकुलेशन के माध्यम से निर्णित नहीं किया जा सकता है।

लेकिन एम के सिन्हा ने जिसकी नियुक्ति सदा ही विवादों के घेरे में रही हैं बोर्ड के चेयरमैन को गुमराह कर विवादित मसले को बोर्ड की बैठक में सुलझा ने की जगह पर निजी स्वार्थ की पूर्ति वश बेखौफ हो बोर्ड के अधिकार हड्प बोर्ड के समक्ष पेश किए बिना विवादित मसले को सरकूलेशन के माध्यम से स्वयं ही निर्णित कर लिया। ऐसे प्रकरणों जिसमें बिना बोर्ड की स्वीकृति लिये अनेक पदों का सृजन किया गया उनके भर्ती नियम बनाए गए और ऐसे बनाए गए पदों के भर्ती नियम जिनको बोर्ड / सक्षम अधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं थी नियुक्तियां भी कर दी।

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में लीगल आफिसर कन्हैयालाल मीणा के पद का सृजन और पद पर नियुक्ति अवैध क्यों?

भा रत के संविधान के अनुच्छेद-262 के तहत बनाई गई अंतर राज्य जल कानून अधिनियम, 1956 की धारा 6-ए के तहत भारत सरकार ने नर्मदा वाटर स्कीम 1980 बनाई है। इस स्कीम के तहत नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का एक कारपोरेट बोर्ड के रूप में गठन किया। जिसकी भारत सरकार से अलग कानूनी पहचान व मोहर है। इस स्कीम के पैरा 7 में यह निर्देशित किया है कि नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण आवश्यकता के अनुसार अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है किंतु नियुक्ति उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार भारत सरकार अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण एक कार्यालय आदेश-ए-7(3) 2006/एडीएम/1255 दिनांक 25 जून 2008 को यह निर्देशित किया कि किसी भी पोस्ट का सृजन व विलोपन नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण बोर्ड ही करेगा और यदि किसी पद का सृजन किया जाता है भर्ती नियम भी साथ ही बनाए जावे। इस संबंध में भारत सरकार कार्मिक, पीजी और पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अर्थात् डीओपीटी डीपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को एनसीए के पदों का सृजन और भर्ती नियम बनाने का अधिकार नहीं है।

मीणा की नियुक्ति के सिन्हा व उनकी पत्नी ने स्वयं बोर्ड की अनुमति प्राप्त किये बगेर लीगल आफिसर के पद का सृजन किया और भर्ती नियम बनाये जो नर्मदा वाटर स्कीम की धारा-7 में यह स्पष्ट निर्देशित है भर्ती के प्रक्रिया वही होगी जो भारत सरकार अपने कर्मचारियों के लिये अपनाती है। जैसा कि डीओपीटी के परिपत्र क्रमांक, एबी 14017/48/2010-इएसटीटी। (आसआर) भारत सरकार कार्मिक, पीजी और पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) 31 दिसंबर, 2010 को नई दिल्ली में स्पष्ट है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 में डीओपीटी को पालियामेंट ने भारत सरकार के कर्मचारियों के लिये नियम बनाने की शक्ति प्रदान की है। भारत सरकार के अंतेचड सर्वोक्तुनेट और अंटोनोमस बॉडीमें नियुक्तियों के संबंध में डीओपीटी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भर्ती नियम संबंधित विभाग द्वारा मंत्रालय की स्वीकृती से बनाये जाए। जिसे बोर्ड रीजोल्यूशन के माध्यम से पास करे।

मुकेश कुमार सिन्हा यह बात भी अच्छी तरह जानते थे कि की नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड आफ इंडिया से वित्त पोषित नहीं होकर भारत सरकार का अंग नहीं है और नहीं अंटेचड सर्वोक्तुनेट और अंटोनोमस बॉडी भी नहीं है। अतः डीओपीटी के परिपत्रों में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का कोई जिक्र नहीं है।

विभाग में किसी भी पद के लिये पदों की संख्या बढ़ाए, अथवा घटाए जाने व भर्ती नियमों में संशोधन करने का कार्य अँगेनाइजेशनल केडर रिव्यू कहलाता है। जिसका गठन नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण बोर्ड ही कर सकता है। अँगेनाइजेशनल केडर रिव्यू की अनुशंसा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचार के लिए रखनी होती है नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण अँगेनाइजेशनल केडर रिव्यू की अनुशंसा में संशोधन कर सकता है, स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है और बिना प्राधिकरण की सहमति के न तो किसी पद को बढ़ाया जा सकता है और ना ही किसी पद को समाप्त किया जा सकता है और ना ही भर्ती नियमों में संशोधन किया जा सकता है।

बोर्ड के सदस्यों में असहमति होने की दशा में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण बोर्ड जिसमें 17 सदस्य हैं, वोटिंग के माध्यम से किसी भी मामले में सहमति या असहमति को तय कर सकते हैं। वोटिंग के दौरान प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है जिसमें चेयरमैन के पास एक अतिरिक्त कास्टिंग वोट होता है।

मुकेश कुमार सिन्हा ने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के चेयरमैन को यह कहकर

अति प्रोसचिव। एनसीए, इंदौर में बर सचिव

- मुकेश कुमार सिन्हा की पती सुमन सिन्हा अति प्रो सदस्य (ई एंड आर), एनसीए, इंदौर सदस्य
- मुकेश कुमार सिन्हा की पती सुमन सिन्हा अति प्रो सदस्य (सिविल), एनसीए, इंदौर सदस्य
- मिठा सिन्हा के दोस्त मुख्य अधियंता,

में वोटिंग के माध्यम से ही किये जाने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऑर्गेनाइजेशनल केडर रिव्यू कमेटी की अनुशंसाओं पर अपनी आपत्ति दिये जाते हैं बाद भी मुकेश कुमार सिन्हा ने पति-पती के कब्जे वाली केडर रिव्यू कमेटी की अनुशंसा को नर्मदा नियंत्रण बोर्ड का फैसला बताते हुए अनेकों पदों का सृजन कर दिया व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा सृजित कराये गई पदों को

विचार करने के उपरांत ही अनुमोदन दिया जाना था। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण केबोर्ड अनुमोदन के अभाव में डाक द्वारा भेजी गई अनुशंसा केवल एक कमेटी की अनुशंसा थी अर्थात् यह अनुशंसा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण बोर्ड की अनुशंसा नहीं थी। किन्तु एम्पे की सिन्हा ने अपनी अध्यक्षता बाती ऑर्गेनाइजेशनल केडर रिव्यू कमेटी की अनुशंसाओं को ही नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

इलीगल तरीके से बने लीगल आफिसर कन्हैयालाल मीणा ने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकारण के कार्यालय में सुबह 9.30 से शाम 6.00 बजे कार्यालय में उपस्थित रहे तथा इसी समयावधि में वे आरिएण्टल यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज भी नियमित रूप पूर्णकालीन कोर्स किया यह कैसे संभव है ?



गुम्याह किया हम डीओपीटी के निदेशानुसार मंत्रालय के साथ मिलकर केडर रिव्यू बना सकते हैं जबकी वास्तविकता यह है कि केडर रिव्यू कमेटी का गठन केवल एनसीए का बोर्ड ही कर सकता है। चेयरमैन ने सिन्हा द्वारा मनमाने ढंग से गठी अँगेनाइजेशन केडर रिव्यू कमेटी का अनुमोदन किया। जबकि इस कमेटी का गठन नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के द्वारा अपनी बैठक में एक रिजल्यूशन के माध्यम से किया जाता रहा है उक्त कमेटी मनमाने ढंग से बनाई गई है क्योंकि 9 सदस्यों में से पांच पदों पर मुकेश सिन्हा और उसकी पती सुमन सिन्हा पदथथे। अर्थात् प्रारंभ से ही बहुमत सिन्हा के पक्ष में रख रिव्यू कमेटी का गठन किया गया।

इस कमेटी में सिन्हा ने स्वयं चेयरमैन का पद संभाल अपनी पती सदस्य इलेक्टिकल जिसके पास नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के सचिव, सदस्य सिविल व सदस्य पर्यावरण का भी अतिरिक्त प्रभारी भी दिलवा दिया इन सभी को इस कमेटी का सदस्य होना बाताया और चार अन्य स्व-पक्षीय शाखा के इंजीनियर को भी मनमाने ढंग से स्वयं नामित कर लिया। केडर रिव्यू कमेटी में स्व-पक्षीय शाखा के इंजीनियर के अलावा भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, आदिवासी कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण और बन मंत्रालय जोकि नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के सदस्य होते हैं से जानबूझ कर किसी को भी शामिल नहीं किया।

-कार्यालय आदेश-ए-2(16)/ओआरसी/2018/484 दिनांक-1 अगस्त 2018: केडर रिव्यू कमेटी की संरचना 1. मुकेश कुमार सिन्हा स्वयं कार्यकारी सदस्य। इंदौर अध्यक्ष 2. मुकेश कुमार सिन्हा की पती सुमन सिन्हा सदस्य (पावर), एनसीए, इन्डैरसदस्य 3. मुकेश कुमार सिन्हा की पती सुमन सिन्हा

STATEMENT OF MARKS									
SEMESTER EXAMINATION - SEPTEMBER-2020									
LL.B. (Hons.)		NAME : RAM SAHAI MEENA		NAME : KANHAYA LAL MEENA		SEMESTER : VI		STATUS : REGULAR	
SUBJECT CODE	SUBJECT NAME	MAXIMUM MARKS	MARKS OBTAINED	MAXIMUM MARKS	MARKS OBTAINED	MAXIMUM MARKS	MARKS OBTAINED	MAXIMUM MARKS	MARKS OBTAINED
L1B-001	LAW RELATING TO CIVIL PROCEDURE, CODE AND LIMIT	100	49.69	70	70	100	49.69	70	70
L1B-002	EARNING LAW	100	49.69	78	78	100	49.69	78	78
L1B-003	LAND LAW (A.P.L.R.C)	100	49.69	82	82	100	49.69	82	82
L1B-004	INTELLECTUAL PROPERTY LAW	100	49.69	82	82	100	49.69	82	82
L1B-005	MOTOR COURT (PRACTICAL PAPER)	100	49.69	89	89	100	49.69	90	90
L1B-006	PREDATION AND POLICE	100	49.69	50	50	100	49.69	50	50
TOTAL :		600	351	600	577	600	366	600	590
PERCENTAGE :		50.2	58.5	50.2	62.8	50.2	61.0	50.2	61.6
ISSUE DATE : 07-Nov-2020									

PREPARED BY _____

CHECKED BY _____

CONTROLLER OF EXAMINATIONS

PROVISIONAL CERTIFICATE									
This is to certify that Mr./Ms. _____ KANHAYA LAL MEENA									
F/I Name Mr./Ms. _____ RAM SAHAI MEENA									
Mother's Name Ms. _____ PRACHI DEVI MEENA									
Enrollment No. OUE1178L034 has completed the requirements and has become eligible for award of degree of LL.B. (Hons.)									
in ... SEP, 2020 (month, year) and is placed in FIRST Division.									
The Degree will be conferred subsequently.									
conferred									

ORIENTAL UNIVERSITY, INDORE
Date: 07-Nov-2020

REGISTRAR

DEAN

CONTROLLER OF EXAMINATIONS

ORIENTAL UNIVERSITY, INDORE
D-1, Ram Ratan Marg, Indore-452001
Gwalior Road, Indore, Madhya Pradesh 452001
Phone: 0731-2445860
Website: www.orientaluniversityindore.ac.in

STAMPS

STAMPS

STAMPS

STAMPS

STAMPS

STAMPS

b.) This ban will cover all creation of posts under powers which have been delegated to any organization regardless of the source of such authority or power

c.) If any posts have been created after 01.07.2020 under delegated powers or authority, without approval of Department of Expenditure and have not yet been filled, then such posts shall not be filled. If it is deemed absolutely essential to fill them, proposals may be sent for approval of Department of Expenditure. Secretaries of the Ministries/Departments, being the Chief Accounting Authorities as per Rule 70 of GFR, shall be fully charged with the responsibility of ensuring compliance of the above instructions. Financial Advisers shall assist respective Departments in securing compliance with these measures.

(Dr. T. V. Somanathan) Secretary (Expenditure)

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में कानूनी अधिकारी के पद का निर्माण और भरना स्पष्ट रूप से अनुचित और अवैध है।

छल की श्रेष्ठता को आगे बढ़ाते हुए एम के सिन्हा ने पत्री सहित पॉचो संवैधानिक पदों कब्जे पर कब्जे वाली केड़र रिक्यू कमेटी में प्रस्ताव पारित कर भर्ती नियम बनाने वाली एक नई समिति का गठन कर अपनी पत्री को समिति का चेयरमैन और उसके अधीन कार्यरत एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत पाण्डे को विशेषज्ञ के तौर पर शामिल किया।

भर्ती नियम बनाने वाली समिति ने सभी भर्ती नियमों को भारत सरकार के कर्मचारीयों पर लगने वाले भर्ती नियमों के विपरित जाकर भर्ती नियम बनाकर अनुमोदन के लिए चेयरमैन के पास भेजा जिसे चेयरमैन ने उक्त प्रस्ताव को मंत्रालय में परीक्षण के लिए भेजा। मंत्रालय के अवर सचिव ने भर्ती नियम के परीक्षण करने के उपरांतकेवल 6 पदों के भर्ती नियमों को आगे की कार्यवाही करने के लिए सिन्हा को दिनांक 15 जनवरी 2021 को वापस कर दिया। आगे की कार्यवाही का अधीप्राय नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के सम्मुख अनुमोदन के लिए उसकी अगली बैठक में नियमानुसार द्वारा जाना चाहिये था मंत्रालय से प्राप्त भर्ती नियमों को आगे की कार्यवाही के स्थान पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने का ऐलान कर दिया। रोजगार समाचार दिनांक 2 जनवरी 2021 में प्रकाशित वैकेंसी सर्कुलर की अंतिम तिथि नियमों के विरुद्ध जाते हुए 60 दिन के स्थान पर मात्र 30 दिन रखी गई क्योंकि सिन्हा का कार्यकाल 3 फरवरी को पूरा हो रहा था और एमके सिन्हा अपने पैतृक विभाग में जाने के पूर्व अपने चहतों जैसे हेमंत पाण्डे की नियुक्ति उच्चपद पर करने की योजनी थी जो इसलिए फेल हो गई क्योंकि मंत्रालय से इनकी पत्री और हेमंत पाण्डे द्वारा ही मिलकर बनाए गए भर्ती नियम मंत्रालय से आगे की कार्यवाही हेतु भी समाचार लिखे जाने तक प्राप्त नहीं हुये।

मगर एम के सिन्हा के लिए भर्ती नियमों के विभाग में कार्यरत कर्मचारी के सिलेक्शन द्वारा भरा जाना है व पद की निर्धारित योग्यता व अनुभव में यह लिखा गया कि पद को विभाग में कार्यरत ऐसे कर्मचारी के सिलेक्शन द्वारा भरा जाना है।

- जिसके पास एलएलबी की रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री हो
- नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में निजी सहायक लेविल 8 या 7 के वेतनमान में पर 2 या 3 वर्ष की सेवा कर चुका हो
- हाई कोर्ट और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कानूनी मामलों को संभालने का 3 साल का अनुभव और
- अधिकारियों को अदालतों में के लिए कानूनी मामलों के हलफनामे और हलफनामों का जवाब पेश करने का पूरा ज्ञान होना चाहिए।

जब केएल मीना के पास कोई एलएलबी की डिग्री ही नहीं थी तब ऐसी स्थिति में के एमके सिन्हा द्वारा केएल मीना को अपनी वर्तमान निजी सहायक की ड्यूटी के अतिरिक्त की ड्यूटी अतिरिक्त एलएलबी की डिग्री का कोर्स ज्वाइन करने की अनुमति यह जानते हुए दी गई कि एलएलबी की डिग्री पूर्णकालिक और होती है राजिकालीन क्लासेस महीने होती है ऐसी स्थिति में लगातार तीन वर्ष तक लॉ कॉलेज में पढ़ाई करके बिना कार्यालय से अवकाश लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति लॉ कॉलेज में और 100 प्रतिशत उपस्थिति ऑफिस में दर्ज कर वह समस्त रिप्लाई जों वकीलों की द्वारा बना जाना बता शासन के साथ घड़यन करते एक ही गुप बी कर्मचारी को राते रात गुप ए अधिकारी बना दिया।


दस्तावेज क्र0 ए-3(79)/2020/एडिम/338 दिनांक-15 दिसम्बर 2020 में प्रमोशन दिखाया जब कि निजी सहायक से लीगल आफिसर न तो प्रमोशन की चैनल है और सीधी भर्ती के लिये कम से कम 3 उम्मीदवार थे ही नहीं क्योंकि वैकेंसी सर्कुलर को रोजगार समाचार में प्रकाशित ही नहीं किया गया था उक्त परिस्थितियों में ना तो चयन किया जा सकता है और ना ही पदोन्नति दी जा सकती है और यह देश के उन समस्त नागरिकों के लिए जो इस पद की योग्यता रखते थे उनके साथ अन्याय होगा।

जैसा कि एनसीए की वेबसाइट पर प्रदर्शित है समाचार लिखे जाने तकलीफल ऑफिसर की नियुक्ति के लिये बनाई गई भर्ती नियमों का परीक्षण मंत्रालय से समाचार लिखे जाने तक भी प्राप्त नहीं हुआ है और प्राप्त नहीं होने के बाद नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों द्वारा अनुमोदित करना तो बहुत दूर की बात है लेकिन डेयरडेविल सिन्हा ने अपनी पत्री व हेमंत पाण्डे से बनवाए हुए रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर दिनांक-14 दिसम्बर 2020 को ही स्वयं की अव्यक्षता में दस्तावेज क्र0 ए-3(43)/2020/पार्ट 117-121 दिनांक-11 दिसम्बर 2020 से सिलेक्शन कैटी का बनाया मगर और के एल मीना की नियुक्ति को पदोन्नति बनाने के विभागीय पदोन्नति समिति के नाम के दस्तावेज क्र0 ए-3(79)/2020/एडिम/338 दिनांक-15 दिसम्बर 2020 का बनवा कर स्वयं ही जारी करवा दिया।

कन्हैयाला मीणा ने मुकेश कुमार सिन्हा और स्वयं के वेतन निर्धारण में हेराफेरी कर बेईमानीपूर्वक छल किया

एमके सिन्हा व पत्री सुमन सिन्हा के पूर्व व वर्तमान कार्यकाल में प्रायोजित आर्थिक घोटालों पर आडिट आपत्ति संख्या रिपोर्ट/21/एम आईपी/एनसी ए/इन्डॉर/16-17/303 दिनांक-06.03.2017 व सी बी आई ने एक शिकायत दर्ज की जिसका क्रमांक पी ई 0082017ए0001 दिनांक- 7.1.2017 है। इसके अलावा कई अन्य प्रायोजित आर्थिक घोटाले में उक्ता साथ देने वाले में एक निजी सहायक कन्हैया लाल मीना है जिसकी हिंदी के आशुलिपि के आरक्षित पद पर जुलाई 1997 में नियुक्ति हुई थी। सिन्हा ने मीणा जो निजी सहायक के आशुलिपि का कार्य नहीं सौंपकर उन्हें संवेदनशील विभाग का कार्य सौंपा। मीणा के कार्य करने के तरीके से प्रभावित होकर एम के सिन्हा ने वर्ष 2006 में भी प्रशासन के प्रभारी होने पर मीणा को वर्ष 2008 में छोड़े वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कन्हैया को वेतन निर्धारण का विशेषज्ञ बताते हुए संजय कुमार ओसवाल तत्कालीन उप निदेशक प्रशासन के अधीन वेतन निर्धारण में सहायता करने के मौखिक आदेश दिए थे। इस बात का खुलासा एनसीए की बेब साइट पर कन्हैया की इ-आर शीट से होता है।

मीणा ने पद का दुरुपयोग कर विभाग प्रमुख मुकेश कुमार सिन्हा को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिये वर्ष 2009 में छोड़े वेतनमान का निर्धारण करते समय निर्धारण प्रपत्र क्रमांक ए-32/5/2008/1933 दिनांक-22.9.2008 में हेराफेरी कर सिन्हा का वेतन 39530/- की जगह 43000/- दिया। इस बात की आपत्ति आडिट संख्या 30 दिनांक-01/08/2011 पर दर्ज की गई है। आडिट रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सिन्हा का वेतन केंद्रीय जल आयोग के पत्र दिनांक 25 सितंबर 2008 के द्वारा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में नियुक्ति के पूर्व 385300/- तथा ग्रेड पे 8700/- थी जो कि प्राधिकरण में नियुक्ति के बाद एक इंक्रीमेंट जोड़कर 29530/- व ग्रेड पर 10000/- होनी थी किंतु उसकी जगह पर 43000/- बेसिक तथा ग्रेड पे 10000 बनाकर सिन्हा को मार्च 2010 तक अवैधानिक रूप से आर्थिक लाभ पहुंचाकर विभाग को 2,35,507 रूपयों की आर्थिक हानि पहुंचाई। आॅडिट ने 2,35,507 रूपयों की रिकवरी करने के आदेश होने के बाबजूद मीना व एमके सिन्हा ने आॅडिट आपत्ति का अभी तक निराकरण नहीं कर शासन को हानि व एमके सिन्हा फायदा पहुंचाया।



मुकेश कुमार सिन्हा के प्रशासनिक प्रभारी रहने के दौरान वर्ष 2010 में ही कन्हैया लाल मीणा को आरक्षणी की सूची में हेराफेरी कर हिन्दी आशुलिपि के वेतन निर्धारण के पद पर पदोन्नति किया। इस पदोन्नति के पश्चात मीणा के वेतन निर्धारण के दस्तावेज सूचना के अधिकारी के तहत प्राप्त करने पर यह तथ्य सामने कि जिस प्रकार मीणा ने सिन्हा के वेतन निर्धारण में हेराफेरी की गई थी उसी प्रकार से मीणा ने स्वयं का वेतन निर्धारण विभाग के दस्तावेजों में हेराफेरी कर किया। मीणा के वेतन निर्धारण में हेराफेरी करने से एनसीए को जुलाई 2010 से वर्ष 2021 तक रूपये-3,84,500 का आर्थिक लाभ हुआ और एनसीए को इतनी ही धनराशी की आर्थिक हानि हुई। कार्यालय की बेबसाइट से इस बात की पुष्टि हुई है कि वेतन निर्धारण का कार्य मीणा ही करते थे।



नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में सभी संवैधानिक पदों पर पति-पत्नी का कष्टा

संविधान के अनुच्छेद-262 के अंतर्गत बनाए गए अंतर्राज्य जल कानून अधिनियम 1956 की धारा-6 उप धाराएं के अंतर्गत नर्मदा वाटर स्कीम बनाई गई है। इसी स्कीम के तहत एक नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण नामक कारपोरेट बॉडी का गठन किया गया है। इसका एक बोर्ड होता है जिसमें 17 सदस्य होते हैं। जिसमें से 4 सदस्य पूर्णकालिक स्वतंत्र सदस्य कहलाते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जानी होती है। इन सदस्यों की योग्यता भी इस बनाई गई स्कीम में लिखी हुई है जिसके अनुसार भारत सरकार के चीफ इंजीनियर के पद से निम्नतर स्तर का अधिकारी पूर्णकालिक स्वतंत्र सदस्य के योग्य नहीं होगा अर्थात् वह इस नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है।



अंतर्राज्य जल कानून अधिनियम 1956 की धारा-6 उप धारा-ए जिसमें नर्मदा पंचाट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट का फैसले के समकक्ष का दर्जा प्राप्त है। अंतर्राज्य जल कानून अधिनियम 1956 की धारा-6 उप धारा-ए के तहत नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में पूर्णकालिक स्वतंत्र सदस्यों के चार स्थायी पद हैं। जिस पर कोई भी पांच वर्ष से अधिक अर्थात् दूसरे कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता है। सदस्यों के चार पदों के अतिरिक्त पांचवा संवैधानिक स्थायी पद नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सचिव का है जिसमें यह स्पष्ट निर्देशित है कि सचिव सदस्य नहीं हो सकता।

क्योंकि अंतर राज्य जल कानून अधिनियम 1956 का रखरखाव भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जाता है एवं चारों पूर्णकालिक स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति भी जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अपाईनमेट कमिटी ऑफ कैबिनेट के माध्यम से की जाती है। अतः भर्ती नियम बनाने का अधिकार भी जल संसाधन मंत्रालय के अधीन आता है। जल संसाधन मंत्रालय में जल कानून अधिनियम के रखरखाव का कार्य एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के सुरुद्दे है जिनकी यह जिम्मेदारी है कि वह प्राधिकरण के सदस्य की नियुक्ति के लिए नियम बनाएं और क्योंकि नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जानी है अतः नियमों को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करें किंतु ऐसा नहीं किया जा रहा है।

धारा-320 बी-2 संबंधी लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के बिना केंद्र सरकार के किसी भी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति नियुक्त अथवा ट्रांसफर पर नहीं भेजा जा सकता है किंतु बनाए गए भर्ती नियमों में लिखा है कि यूपीएससी से कंसल्टेशन करना जरूरी नहीं है जबकि यूपीएससी से कंसल्टेशन यदि नहीं करना हो तो एजम्पशन लेना होता है जिस का प्राविधान एजम्पशन फॉर्म कंसल्टेशन ऑफ यूपीएससी एक्ट है और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण संस्थान का नाम इस एजमेंट लिस्ट ऑफ ऑगेनीजेशन में नहीं है।

पड़ताल में यह बात सामने आई है कि नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के पदों पर सदस्यों की नियुक्ति ऐसे लोगों की जी रही है जो कि चीफ इंजीनियर के पद पर कभी नियुक्त नहीं रहे और सीधे ही सदस्य नियुक्त किये जा रहे हैं जिससे नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की विश्वसनीयता बाधित हो रही है इसके अलावा यह भी जात हुआ कि स्थाई पदों पर नियुक्ति के पदों को प्रतिनियुक्ति के नियम बना कर भरा जा रहा है। यह भी जात हुआ है कि जो अधिकारी जल संसाधन मंत्रालय के अधीन रहकर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में सदस्यों की भर्ती के नियम बनाने के जिम्मेदार हैं वही अधिकारी अपनी स्वयं की उम्मीदवारी पेश करने के लिए नियमों में सुविधानुसार अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं। पड़ताल किये गये प्रकरण में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के सदस्यों की भर्ती के नियम 2013 एमके सिन्हा के हस्ताक्षर से जारी हैं और इन्हीं नियमों के आधार पर एमके सिन्हा ने अपनी व अपनी पत्नी सुमन सिन्हा की उम्मीदवारी पेश कर 2017 में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में क्रमशः कार्यकारी सदस्य व सदस्य विद्युत के पद पर प्रतिनियुक्ति करावाने में सफल रहे हैं। यह सर्विस के नियमों में संविधित है कि प्रत्येक स्थाई पद का अपना लियन होता है अर्थात् स्थाई पद पर नियुक्ति किसी दूसरे स्थाई पद के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकती अर्थात् कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 स्थाई पदों पर कब्जा नहीं जमा सकता क्योंकि यह बेरोजगारों के साथ अन्याय होगा अतः किसी स्थाई पद को प्रतिनियुक्ति के द्वारा जिसको अस्थाई ट्रांसफर कहते हैं नहीं भरा जा सकता।

BIO DATA OF M K SINHA					
Sr. No.	Post Held	Organisation	City	From	To
1	Assistant Director	Central Water Commission	Parent cadre	Jan-88	Feb-91
2	Assistant Director	Ministry of Water Resources	Ex cadre	Feb-91	Mar-92
3	Executive Engineer	Cauvery Water Disputes Tribunal	Deputation	Mar-92	Mar-94
4	Deputy Director	Central Water Commission	Parent Cadre	Mar-94	May-96
5	Executive Engineer	Central Water Commission	Jun-96	Feb-99	
6	Jt/Dy. General Manager	M/s RITES Limited	Deputation	Feb-99	Jan-02
7	Director	Central Water Commission	Parent Deptt	Jan-02	May-06
8	Member	Narmada Control Authority	Deputation	May-06	May-11
9	Sr. Jt. Commissioner (PP)	MOWR, RD and GR	Excadre	May-11	Mar-15
10	Chief Engineer	Central Water Commission	parent	Mar-15	Feb-16
11	Director	Central Water and Power Research Station	Deputation	Feb-16	Feb-17
12	Executive Member	Narmada Control Authority	Deputation	Feb-17	3/2/2021

पड़ताल में यह बात सामने आई है कि कार्यकारी सदस्य का पद भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के समकक्ष अर्थात् लेवल 15 में है जिसके लिए न्यूनतम योग्यता चीफ इंजीनियर के पद पर 3 वर्ष तक रहकर अपनी क्षमता साबित करने के बाद ही नियुक्त की जा सकती है। जबकि एम के सिन्हा पैत्रिक विभाग में मई 2015 में चीफ इंजीनियर के पद पर प्रतेरित रही पाये थे और 1 वर्ष के अंदर ही अपनी उम्मीदवारी पेश कर कार्यकारी सदस्य बन बैठे। इनकी पत्नी सुमन सिन्हा अपने पैत्रिक विभाग में अधीक्षण अभियान के पद पर अर्थात् चीफ इंजीनियर के पद से निम्न स्तर पर थी नहीं अपनी उम्मीदवारी पेश कर सदस्य विद्युत के पद पर नियुक्त पाई एसा किया जाना अंतर्राज्य जल कानून अधिनियम 1956 की धारा-6 उप धारा-ए जिसमें नर्मदा पंचाट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट

उपरोक्त तालिका में दो बातें प्रगट हैं कि एम के सिन्हा को अपना पैत्रिक रास नहीं आता वे ज्यादातर यह डेपुटेशन या एक्स कैडर पोस्ट ही पर ही नियुक्त रहे हैं और दूसरा यह कि जब यह नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में 2006 में सदस्य नियुक्त हुए तो चीफ इंजीनियर से कमतर थे और क्योंकि यह वर्ष 2015 में चीफ इंजीनियर बने और जब यह कार्यकारी सदस्य बने तो यह चीफ इंजीनियर में 1 वर्ष के थे।

सिन्हा युगल एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जिसमें भर्ती नियमों में लिखा गया कि यदि चीफ इंजीनियर

नहीं हो तो अधीक्षण यंत्री हो अधीक्षण यंत्री नहीं हो तो अधिकारी अभियंता हो। वर्तमान प्रकरण में एम के सिन्हा के हस्ताक्षर से जारी भर्ती नियम में यह लिखा गया है कि यदि एम के सिन्हा/अन्य ने चीफ इंजीनियर के पद पर 1 वर्ष भी बिताया हो किंतु क्याकि उसने 25 वर्ष सबसे नीचे के पद पर बिताये तो उसे भी अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार सदस्य के लिए बनाए गए भर्ती नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई अधीक्षण यंत्री हो अथवा हो उसने कुछ वर्ष की सेवा निम्न स्तर के पद पर कर ली हो सदस्य नियुक्त किया जायेगा। अंतर्राज्य जल कानून अधिनियम 1956 की धारा-6 उप धारा-ए कानून का सीधा उल्लंघन प्रगट है। जिससे संपूर्ण संस्थान की विश्वसनीयता ही सबालों के घेरे में है तब ऐसी स्थिति में शक्तिशाली राज्य सरकारें भी इस षड्यंत्र को न समझते हुए इनकी ताकत के आगे असहाय होकर न तमस्तक हैं।

यह की नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में लीगल ऑफिसर के पद पर एमके सिन्हा के द्वारा के एल मीना की इलीगल तरीके से की गई नियुक्ति के प्रकाश में आने पर एमके सिन्हा के स्वयं की नियुक्ति की पड़ताल की गई जिसमें चैकने वाले तथ्य सामने आए हैं यह कि विगत में एम के सिन्हा 23 मई 2006 में नियुक्त होकर 11 मई 2011 तक सदस्य सिविल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर रहे थे एवं उनकी पत्नी सुमन सिन्हा भी निदेशक विद्युत के पद पर इनके साथ ही प्रतिनियुक्ति पर आई थी उस समय भी सिन्हा युगल का कार्यकाल चर्चा में रहा था किंतु अच्छे कारणों से नहीं हैं।

पड़ताल में यह पाया गया कि वर्ष 2006 में ही जल संसाधन मंत्रालय के विजिलेंस विभाग ने Letter no 5/3/2006-Vig, Government of India Ministry of Water Resource (Vigilance Section) Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi, dated the 4.10.2006 एम के सिन्हा को विजिलेंस अधिकारी के पद को हड्डने पर तीखी टिप्पणी करते हुए अपने पत्र क्रमांक दिनांक 4 अक्टूबर 2006 में एम के सिन्हा को विजिलेंस अधिकारी के पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया था।

"...the Secretary WR has viewed the matter seriously and has observed that the appointment of Shri M.K.sinha to the post of CVO is unjustified as such he is divested of the charge of CVO NCA forthwith which may be complied with immediately under intimation to the undersigned. NCA should also act according to directions conveyed to it vide ministry's above reference letter dated 19.9.2006 Meanwhile it has also been decided to review all the cases which have been processed by Shri Sinha in the capacity of CVO therefore all such files/documents may be sent to the undersigned accordingly"

पड़ताल में यह भी पाया गया है कि एम के सिन्हा ने वर्ष 2007 में सदस्य पर्यावरण एवं पुनर्वास के पद को हड्डने के लिए एक सुनियोजित चाल चली थी जिसमें मंत्रालय को यह बताया गया कि सदस्य प

Note sheet page-52- NO.36/9/2005-PR dated 6.2.2012 Ministry of Water Resources (NCA Branch) Subject:- Grant of ex-post facto approval of the A.C.C. for regularizing entrusting additional charge of the post of Member(E&R), Narmada Control Authority, Indore to Shri M.K. Sinha, former Member(Civil), NCA - Fixation of responsibility- Reply to ACC

para (c) Fixation of responsibility NCA vide their letter dt. 9.10.2012 has intimated that the continuation of the additional charge of the post of Member (E&R), NCA to Shri M.K. Sinha, Member (Civil), NCA, without approval of the competent authority has brought to light a systemic flaw in the internal work procedures of NCA. It was an isolated event, a system failure, and not due to any deficiency on part of any individual. Remedial action has been initiated by the NCA to prevent recurrence of such action in future

(d) We may agree with the above explanation in para-16(c) and close the matter. We may inform the DoPT accordingly as per DFA.

निजी स्वार्थों की पूर्ति में पी एम ओ की आँखों में धूल झोंकते पति एवं पत्नी का यह जोड़ा 5 से 10 वर्षों से पूर्णकालिक स्वतंत्र सदस्यों के स्थायी पदों पर केन्द्रीय जल आयोग व रक्षा मंत्रालय में स्थायी पद धारित करते स्वयं की प्रतिनियुक्ती हासिल करने वास्ते सबव्यं ही भर्ती नियम बनाते दो स्थायी पदों पर एक साथ नियुक्ती हासिल करता आ रहा है। टैक्स पेयर के पैसे से अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति बेरोकटोक/निरंकुश करने वास्ते पूर्णकालिक स्वतंत्र सदस्य पत्नी को सीधे ही स्वयं के अधीन कर समस्त पूर्णकालिक स्वतंत्र सदस्य व सदस्य के नीचे की श्रेणी का पद स्विच/ अन्य सभी के संवैधानिक, विजिलेंस व आर टी आई एक्ट/प्रशासनिक, वित्तीय व अन्य सभी के संवैधानिक, विजिलेंस व आर टी आई एक्ट के पदों में निहित सभी अधिकारपत्नी को सौंपकर स्वयं ही उसका नियंत्रक अधिकारी बना हुआ है। यह जोड़ा समर्पूण संस्था के समस्त संवैधानिक पदों पर जिस प्रकार काबिज रहा है वह चैकाने वाला है।

पति पत्नी ने न केवल स्वतंत्र प्रभार वाले पूर्णकालिक सदस्य के चारों पदों पर कब्जा कर लिया वरन् उनके स्वतंत्र प्रभार के अधीन किसी भी अधिकारी या सदस्य को अतिरिक्त प्रभार देने का कार्य केवल नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण जो कि नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के द्वारा नियुक्त किया जाना है और जिसमें यह निर्देशित है कि सचिव नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का सदस्य नहीं हो सकता क्योंकि सचिव का पद सदस्य के पद से निचले स्तर का है कमतर है और यह पद नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का स्थाई पद है। मुकेश कुमार सिन्हा ने अपनी पत्नी सदस्य को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का सचिव भी नियुक्त करवा दिया यह भी उल्लेखनीय है कि नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण स्कीम 1980 के अधीन किसी भी अधिकारी या सदस्य को अतिरिक्त प्रभार देने का कार्य केवल नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण बोर्ड के द्वारा ही किया जाना है अन्य किसी के द्वारा नहीं का भी उल्लंघन है केवल इतना ही नहीं वर्सन् अधृतगती सदस्यों को समस्त वित्तीय व प्रशासनिक प्रभार भी सौंप दिये, आरटीआई एक्ट की अपीलेट अथवारी बना दिया, ग्रीवेंस रिडेसल ऑफिसर भी अपनी पत्नी को बना दिया, भर्ता नियम समिति का अध्यक्ष, राजभाषा समिति का अध्यक्ष भी बना दिया और स्वयं ही अधृतगती का नियन्त्रक अधीकारी बन कर अधृतगती की चरीत्रगोपाली, अवकाश व दोरा स्वीकृति दाता स्वयं बन कर सदैव अपने साथ रखना सुनिश्चित किया।

समय काल 2006 से 2011

प्राधिकारण में पूर्णकालिक स्वतंत्र सदस्य के पदनाम	धारित पद द्वारा	धारित पद द्वारा	आदेश दिनांक
कार्यकारी सदस्य	अन्य को अतिरिक्त प्रभार		
सदस्य सिविल प्रशासनिक		पति	2006 से 2011
सदस्य पर्यावरण एवं पुनर्वास		पति	2006 से 2011
सदस्य विधुत		अन्य को अतिरिक्त प्रभार	12.04.2019
निदेशक सदस्य विधुत के अधिन		पत्नी	2008 से 2011
सचिव (सदस्य के नीचे की श्रेणी का पद)		पत्नी	04.04.2017

समय काल 2017 से 2021

प्राधिकारण में पूर्णकालिक स्वतंत्र सदस्य के पदनाम	धारित पद द्वारा	धारित पद द्वारा	आदेश दिनांक
कार्यकारी सदस्य	पति		10.01.2017
सदस्य विधुत		पत्नी	22.03.2017
सदस्य सिविल		पत्नी	06.06.2019
सदस्य पर्यावरण एवं पुनर्वास		पत्नी	12.04.2019
सचिव (सदस्य के नीचे की श्रेणी का पद)		पत्नी	04.04.2017

यहां तक कि जब फरवरी 2018 में एम के सिन्हा को पैरालिटिक स्टोक हुआ और अपोलो अस्पताल में भर्ती रहे उसके बाद जब जब फिजियोथेरेपी कराई या अन्य शहरों में जाकर अपना इलाज कराया नेचुरोपेथी कराई सभी जगह पर पत्नी इनके साथ दौरे पर गई यदि इस युगल के विगत 4 वर्षों के दौरान किए गए यात्रा भत्ते वह अवकाश की पड़ताल की जाए तो अन्य अनेकों चैकाने वाली जानकारियां सामने आ सकती हैं।

इस संबंध में आरटीआई एक्ट के अंतर्गत जानकारी मांगे जाने पर गुमराह करने वास्ते, ऑल इंडिया सर्विस नियमों के अधीन डीओपीटी द्वारा जारी नियम जिसमें पति पत्नी को एक राज्य अथवा एक शहर अथवा एक ही संस्थान में नियुक्त किए जाने संबंधी प्रावधान हैं जिसमें भी पत्नी को पति के अधीन नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है तथा यह जानते हुए की पति पत्नी का जोड़े पर ऑल इंडिया सर्विस नियम लागू नहीं हो सकते गुमराह करने वास्ते, दिया गया है।

एमके सिन्हा के वेतन निर्धारण वर्ष 2008 में लाखों के घपले में क्यों है ऑडिट की आपति

डीओपीटी द्वारा जारी आदेश दिनांक 5.01.1994 तथा स्मरण आदेश दिनांक 17.06.2010 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अधिकारी किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो तब ऐसी स्थिति में उसके मूल विभाग के वेतन में एक इंक्रीमेंट देने के बाद नई पदस्थापना के वेतन के साथ जुड़े ग्रेड पी की तालिका में उसका वेतन निर्धारित किया जाना है। No. 6/8/2009-Estt. (Pay II) Government of India Department of Personnel & Training New Delhi the 17th June 2010 If the scale of pay/Grade Pay of the ex-cadre post is higher, the pay may be fixed after adding one increment to the existing pay in the Pay Band of the parent cadre post. The grade pay corresponding to the ex-cadre post would thereafter be granted in addition to this pay in the pay band

एमके सिन्हा के केस में ऐसा नहीं किया गया वरन् उनके मूल विभाग के वेतन निर्धारण जो कि दिनांक-01.01.2006 को पांचवे वेतन में मूल वेतन ₹-15500/- को छठे वेतनमात्र पी बी.4 में तब्दील होने के बाद ₹-38530/था में 3 परसेंट का एक इंक्रीमेंट लानाकर वेतन ₹-39950/-बनता है के स्थान पर धोखाधड़ी से पद का दूरल्पयोग कर सदस्य के पद पर सीधी भर्ती का केस बनाकर ₹ 43000/-निर्धारित कर मूल वेतन में ही लाखों रुपयों का गबन किया गया जो ऑडिट आपति के बाद भी आज तक वापस जमा नहीं किए गए। ऐसा ही प्रकरण मीणा का भी है जिन्होंने सन 2010 में स्टेनोग्राफर ग्रेड बी से निजी सहायक के पद पर प्रमोशन के समय से ही सीधी भर्ती वाली तालिका का प्रयोग कर अधिक वेतन प्राप्त करता आ रहा है।

Para: 14 Recovery of Rs.23550/- from pay

Shri M.K.Sinha, Member (Civil) had joined NCA on 23.5.06 for a period of five years. Shri Sinha was relieved on for repatriation. During scrutiny it was noticed that Shri Sinha's pay was fixed at Rs.43,000 and Grade pay Rs.10,000/-in PB 14 from 23.5.06 vide NCA office order no.A-32(5)/2008/933 dt 22.9.08 in pursuance of the Notification No.GSR-622(B) dt.29.8.08 of GOI notifying the CCS (Revised Pay) Rules 2008.

Central Water Commission, GOI, vide order No.A 26011/2/2008 E-I dt.25.9.08 had fixed him in Junior Administrative Grade of CWES on his exercising option for fixation of pay in the revised pay band PB-4) of Rs.37400-67000 with GP 8700/- w.e.f. 1.1.06 and was fixed at Rs.38530+8700 (GP) with DNI on 17.2.06 (Rs.39950+8700).

Thus due to revision of pay an amount of Rs/23550/- is to be recovered from Shri M.K.Sinha as detailed in Annexure-C

On being pointed out it was stated in reply that after issuing an OM by DoPT dt.17.6.10, the matter has been referred to the Ministry of Water Resources, New Delhi vide letter dt.4.5.2011 and the reply from Ministry is still awaited.

Final action would be awaited in audit.

मुकेश कुमार सिन्हा ने पूर्व के लीगल आफिसर को फर्जी डिग्री के मामले में बचाया

सीबीआई ने वर्ष 2014/15 की गया जांच में एनसीए के एक उच्च अधिकारी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की डिग्री को जांच के बाद फर्जी पाया था। सीबीआई ने पत्र दिनांक 2 मई 2015 में आईपीसी की धाराओं का प्रकरण बनाकर मंत्रालय को एक आई आर दर्ज कर आगे की कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई और मंत्रालय ने भी कार्यकारी सदस्य का एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए। जब इस बात की पड़ताल की तो पता चला कि अधिकारी ने धारित पद की अनिवार्य योग्यता पर्यावण विषय में यूजीसी द्वारा मान्य डिग्री थी लेकिन यह अधिकारी के कार्यवाही के बाद वनस्पति विज्ञान विषय में डिग्री धारक था। अधिकारी ने डिग्री में हेराफेरी कर वनस्पति विज्ञान के आगे के खाली जगह पर पर्यावरण लिख कर नियुक्त पाई थी। इस प्रकरण में निजी स्वार्थ की पूर्ति कर एफआईआर नहीं की बल्कि इस अधिकारी को इस मामले की जानकारी दी। सीबीआई रिपोर्ट आने के बाद इसने अपनी मूल डिग्री जिस पर केवल वनस्पति विज्ञान विषय की डिग्री के बाद इसने अपनी वनस्पति विज्ञान विषय की डिग्री को बढ़ावा दी। ऐसा करने से उत्तराधिकारी पद के योग्य नहीं रह गया किंतु क्योंकि यही अधिकारी लीगल आफिसर का कार्य भी कर रहा था इस कारण एम के सिन्हा ने मंत्रालय में एक्स कैडर पोर्स्ट पर बैठ कर उत्तराधिकारी की अयोग्यता पर पर्दा डाल उत्तराधिकारी पद पर प्रतिनियुक्ति पाने में सहयोग किया। और आद में कार्यकारी स

कहानी

पूर्ण स्वराज्य का जुलूस निकल रहा था। कुछ युवक, कुछ बृद्धे, कुछ बालक झड़ियाँ और झड़े लिये बदेमात्रम गते हुए माल के सामने से निकले। दोनों तरफ दर्शकों की दीवारें खड़ी थीं, मानो उन्हें इस लक्ष्य से कोई सरोकार नहीं हैं, मानो यह कोई तमाशा है और उनका काम केवल खड़े-खड़े देखना है।

शंभूनाथ ने दूकान की पटरी पर खड़े होकर अपने पड़ोसी दीनदयाल से कहा- सब के सब काल के मुँह में जा रहे हैं। आगे सवारों का दल मार-मार भगा देगा।

दीनदयाल ने कहा-महात्मा जी भी सहिया गये हैं। जुलूस निकालने से स्वराज्य मिल जाता तो अब तक कब का मिल गया होता। और जुलूस में हैं कौन लोग, देखो-लौंडे, लफांगे, सिरफिरे। शहर का कोई बड़ा आदमी नहीं।

मैकू चट्टियों और स्लीपरों की माला गरदन में लटकाये खड़ा था। इन दोनों सेरों की बातें सुनकर हँसा।

शंभू ने पूछा-क्यों हँसे मैकू? आज रंग चौखा मालूम होता है।

मैकू-हँसा इस बात पर जो तुमने कही कि कोई बड़ा आदमी जुलूस में नहीं है। बड़े आदमी क्यों जुलूस में आने लगे, उन्हें इस राज में कौन आराम नहीं है? बँगलों और महलों में रहते हैं, मोटरों पर घूमते हैं, साहबों के साथ दावतें खाते हैं, कौन तकलीफ है! मर तो हम लोग रहे हैं जिन्हें रोटियों का टिकाना नहीं। इस बखत कोई टेनिस खेलता होगा, कोई चाय पीता होगा, कोई ग्रामेफोन लिए गाना सुनता होगा, कोई पारिक की सैर करता होगा, यहाँ आये पुलिस के कोडे खाने के लिए? तुमने भी भली कही?

शंभू तुम यह सब बातें क्या समझोगे मैकू, जिस काम में चार बड़े आदमी अगुआ होते हैं उसकी सरकार पर भी धाक बैठ जाती है। लौंडें-लफांगों का गोल भला हाकिमों की निगाह में क्या जँचेगा?

मैकू ने ऐसी दृष्टि से देखा, जो कह रही थी-इन बातों के समझने का ठीका कुछ तुम्हीं ने नहीं लिया है और बोला-बड़े आदमी को तो हमी लोग बनाते-बिगड़ते हैं या कोई और? कितने ही लोग जिन्हें कोई पूछता भी न था, हमारे ही बनाये बड़े आदमी बन गये और अब मोटरों पर निकलते हैं और हमें नीच समझते हैं। यह लोगों की तकदीर की खूबी है कि जिसकी जरा बढ़ती हुई और उसने हमसे आँखें फेरीं। हमारा बड़ा आदमी तो बही है, जो लगोंटी बाँधे नगे पाँव घूमता है, जो हमारी दशा को सुधारने के लिए अपनी जान हथेली पर लिये फिरता है। और हमें किसी बड़े आदमी की परवाह नहीं है। सच पूछे तो इन बड़े आदमियों ने ही हमारी मिट्टी खराब कर रखी है। इन्हें सरकार ने कोई अच्छी-सी जगह दे दी, बस उसका दम भरने लगा।

दीनदयाल-नया दारोगा बड़ा जल्दाद है। चौरासे पर पहुँचते ही हंटर लेकर पिल पड़ेगा। फिर देखना, सब कैसे दुम दबाकर भागते हैं। मजा आयेगा।

जुलूस स्वाधीनता के नशे में चूर चौरासे पर पहुँचा तो देखा, आगे सवारों और सिपाहियों का एक दस्ता रास्ता रोके खड़ा है।



सहसा दारोगा बोरबल सिंह घोड़ा बड़ा कर जुलूस के सामने आ गये और बोले- तुम लोगों को आगे जाने का हुक्म नहीं है।

जुलूस के बूढ़े नेता इब्राहिम अली ने आगे बढ़कर कहा-मैं आपको इस्तीनाम दिलाता हूँ, किसी किस्म का दंगा-फसाद न होगा। हम दूकानें लूटने या मोटरों तोड़ने नहीं निकले हैं। हमारा मकसद इससे कहीं ऊँचा है।

बीरबल-मुझे यह हुक्म है कि जुलूस यहाँ से आगे न जाने पाये।

इब्राहिम-आप अपने अफसरों से जरा पूछ न लें।

बीरबल-मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझता।

इब्राहिम-तो हम लोग यहीं बैठते हैं। जब आप लोग चले जायेंगे तो हम निकल जायेंगे।

बीरबल-यहाँ खड़े होने का भी हुक्म नहीं है। तुमको वापस जाना पड़ेगा।

इब्राहिम ने गंभीर भाव से कहा-वापस तो हम न जायेंगे। आपको या किसी को भी, हमें रोकने का कोई हक नहीं। आप अपने सवारों, संगीनों और बंदूकों के जारे से हमें रोकना चाहते हैं, रोक लीजिए, मगर आप हमें लौटा नहीं सकते। न जाने वह दिन कब आयेगा, जब हमारे भाई-बंद ऐसे हुक्मों की तामील करने से साफ इन्कार कर देंगे, जिनकी मंशा महज कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना है।

बीरबल ग्रेजुएट था। उसका बाप सुपरिटेंडेंट पुलिस था। उसकी नस-नस में रोब भरा हुआ था। अफसरों की दृष्टि में उसका बड़ा सम्मान था। खासा गोरा चट्टा, नीली आँखें और भूरे बालों वाला तेजस्वी पुरुष था। शायद जिस वक्त वह कोट पहन कर ऊपर से हैट लगा लेता तो वह भूल जाता था कि मैं भी यहाँ का रहनेवाला हूँ।

शायद वह अपने को राज्य करनेवाली जाति का अंग समझने लगता था; मगर इब्राहिम के शब्दों में जो तिरस्कार भरा

जुलूस

देख कर कहा-जी हाँ, हजारों आदमी हैं।

इब्राहिम-तो अब खैरियत नहीं है। झंडा लौटा दो। हमें फौरन लौट चलना चाहिए, नहीं तूफान मच जायगा। हमें अपने भाइयों से लड़ाई नहीं करनी है। फौरन लौट चलो।

यह कहते हुए उन्होंने उठने की चेष्टा की, मगर उठ न सके।

इशारे की देर थी। संगठित सेना की भाँति लोग हुक्म पाते ही पीछे फिर गये। झंडियों के बाँसों, साफों और रुमालों से चटपट एक स्ट्रेचर तैयार हो गया। इब्राहिम को लोगों ने उस पर लिटा दिया और पीछे फिरे। मगर क्या वह परास्त हो गये थे? आग कुछ लोगों को उहें परास्त मानने में ही संतोष हो तो हो, लेकिन वास्तव में उन्होंने एक युगांतकारी विजय प्राप्त की थी। वे जानते थे, हमारा संघर्ष अपने ही भाइयों से है, जिनके हित परिस्थितियों के कारण हमारे हितों से भिन्न हैं। हमें उनसे बैर नहीं करना है। फिर, वह यह भी नहीं चाहते कि शहर में लूट और दर्गे का बाजार गर्म हो जाय और हमारे धर्मयुद्ध का अंत लूटी हुई दूकानें, फूटे हुए सिर हों, उनकी विजय का सबसे उज्ज्वल चिह्न यह था कि उन्होंने जनता की सहानुभूति प्राप्त कर ली थी। वही लोग, जो पहले उन पर हँसते थे; उनका धैर्य और साहस देखकर उनकी सहायता के लिए निकल पड़े थे। मनोवृत्ति का यह परिवर्तन ही हमारी असली विजय है। हमें किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं, हमारा उद्देश्य केवल जनता की सहानुभूति प्राप्त करना है, उसकी मनोवृत्तियों को बदल देना है। जिस दिन हम इस लक्ष्य पर पहुँच जायेंगे, उसी दिन स्वराज्य सूख उदय होगा।

तीन दिन गुजर गये थे। बीरबल सिंह अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। और उनकी पत्नी मिठ्ठन बाई शिशु को गोद में लिये सामने खड़ी थीं।

बीरबल सिंह ने कहा-मैं क्या करता उस वक्त। पीछे डी. एस. पी. खड़ा था। अगर उहें रास्ता दे देता तो अपनी जान मुसीबत में फँसती।

मिठ्ठन बाई ने सिर हिला कर कहा-तुम कम से कम इतना तो कर ही सकते थे कि उन पर डंडे न चलाने देते। तुम्हारा काम आदमियों पर डंडे चलाना है? तुम ज्यादा से ज्यादा उहें रोक सकते हो। उसकी बदलता वंद हो गयी। वह लोग, जो दस मिनट पहले तमाशा देख रहे थे इधर-उधर से दौड़ पड़े और हजारों आदमियों का एक विराट दल घटनास्थल की ओर चला। यह उन्मत्त, हिंसामद से भरे हुए मनुष्यों का समूह था, जिसे सिद्धांत और आदर्श की परवाह न थी। जो मने के लिए ही नहीं, मासे के लिए भी तैयार थे। किनानों ही के हाथों में लाठियाँ थीं, कितने ही जेबों में पथर भरे हुए थे। न कोई किसी से कुछ बोलता था, न पूछता था। बस, सब-के-सब मन में एक दृढ़ संकल्प किये लपके चले जा रहे थे, मानो कोई घटा उमड़ी चली आती हो।

मिठ्ठन बाई-मैं खूब समझती हूँ। डी. एस. पी. पीछे खड़ा था। तुमने सोचा होगा ऐसी कागगुजारी दिखाने का अवसर शयद फिर कभी मिले या न मिले। क्या तुम समझते हो, उस दल में कोई भला आदमी न था? उसमें कितने आदमी ऐसे थे, जो तुम्हारे जैसों को नौकर रख सकते हैं। विद्या में तो शायद तुम्हें बड़ा आनंद आयेगा, क्यों? बीरबल सिंह ने खिलिया कर कहा-तुम तो बात नहीं समझती हो !

बीरबल सिंह ने बेहयाई की हँसी के साथ कहा-डी. एस. पी. ने मेरा नाम नोट कर लिया है। सच !

दारोगा जी ने समझा था कि यह सूचना दे कर वह मिठ्ठन बाई को खुश कर देंगे। सज्जनता और भलमनसी आदि ऊपर की बातें हैं, दिल से नहीं,

अविरत...

जबान से कही जाती है। स्वार्थ दिल की गहराइयों में बैठ होता है। वह गम्भीर विचार का विषय है।

मगर मिठुन बाई के मुख पर हर्ष की कोई रेखा न नजर आयी, ऊपर की बातें शायद गहराइयों तक पहुँच गयी थीं ! बोलीं-जरूर कर लिया होगा और शायद तुहें जल्दी तरकी भी मिल जाय। मगर बेगुनाहों के खून से हाथ रंग कर तरकी पायी, तो क्या पायी ! यह तुम्हारी कारगुजारी का इनाम नहीं, तुहारे देशद्रोह की कीमत है। तुम्हारी कारगुजारी का इनाम तो तब मिलेगा, जब तुम किसी खूनी को खोज निकालोगे, किसी डूबते हुए आदमी को बचा लोगे।

एकाएक एक सिपाही ने ब्रामदे में खड़े हो कर कहा-हुजूर, यह लिफाफा लाया हूँ। बीरबल सिंह ने बाहर निकल कर लिफाफा ले लिया और भीत की सरकारी चिट्ठी निकाल कर पढ़ने लगे। पढ़ कर उसे मेज पर रख दिया।

मिठुन ने पूछा-क्या तरकी का परवाना आ गया?

बीरबल सिंह ने झेंप कर कहा-तुम तो बनाती हो ! आज फिर कोई जुलूस निकलनेवाला है। मुझे उसके साथ रहने का हुक्म हुआ है।

मिठुन-फिर तो तुम्हारी चाँदी है, तैयार हो जाओ। आज फिर वैसे ही शिकार मिलेंगे। खूब बढ़-बढ़कर हाथ दिखलाना ! डी. एस. पी. भी जरूर आयेंगे। अबकी तुम इंस्पेक्टर हो जाओगे। सच !

बीरबल सिंह ने माथा सिकोड़ कर कहा-कभी-कभी तुम बै-सिर-पैर की बातें करने लगती हो। मान लो, मैं जाकर चुपचाप खड़ा रहूँ, तो क्या नतीजा होगा। मैं नालायक समझा जाऊँगा और मेरी जगह कोई दूसरा आदमी भेज दिया जायगा। कहीं शुबहा हो गया कि मुझे स्वराज्यवादियों से सहानुभूति है, तो कहीं का न रहूँगा। अगर बवाहास्त भी न हुआ तो लैन की हाजिरी तो हो ही जायगी। आदमी जिस दुनिया में रहता है, उसी का चलन देखकर काम करता है। मैं बुद्धिमान न सही; पर इतना जानता हूँ कि ये लोग देश और जाति का उद्धार करने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। यह भी जानता हूँ कि सरकार इस खयाल को कुचल डालना चाहती है। ऐसा गधा नहीं हूँ कि गुलामी की जिंदगी पर गर्व करूँ; लेकिन परिस्थिति से मजबूर हूँ।

बाजे की आवाज कानों में आयी। बीरबल सिंह ने बाहर जाकर पूछा। मालम हुआ स्वराज्य वालों का जुलूस आ रहा है। चटपट वर्दी पहनी, साफा बाँधा और जेब में पिस्तौल रखकर बाहर आये। एक क्षण में घोड़ा तैयार हो गया। कांस्टेबल पहले ही से तैयार बैठे थे। सब लोग डबल मार्च करते हुए जुलूस की तरफ चले।

ये लोग डबल मार्च करते हुए, कोई पंद्रह मिनट में जुलूस के सामने पहुँच गये। इन लोगों को देखते ही अगणित कठों से 'वेदमातरम्' की एक ध्वनि निकली, मानो मेघमंडल में गर्जन का शब्द हुआ हो, फिर सत्राटा छा गया। उस जुलूस में और इस जुलूस में कितना अंतर था ! वह स्वराज्य के उत्सव का जुलूस था, यह एक शहीद के मातम का। तीन दिन के धीरण ज्वर और वेदना के बाद आज उस जीवन का अंत हो गया, जिसने कभी पद की लालसा नहीं की, कभी अधिकार के

समने सिर नहीं झुकाया। उहोंने मरते समय वसीयत की थी कि मेरी लाश को गंगा में नहला कर दफन किया जाय और मेरे मजार पर स्वराज्य का झंडा खड़ा किया जाय। उनके मरने का समाचार फैलते ही सारे शहर पर मातम का पर्दा-सा पड़ गया। जो सुनता था, एक बार इस तरह चौंक पड़ता था, जैसे उसे गोली लग गयी हो और तुरंत उनके दर्शनों के लिए भागता था। सारे बाजार बंद हो गये, ड्वॉलों और तांगों का कहीं पता न था जैसे शहर लुट गया हो। देखते-देखते सारा शहर उमड़ पड़ा। जिस वक्त जनाजा उठा, लाख-सवा लाख आदमी साथ थे। कोई आँखें ऐसी न थीं, जो आँसुओं से लाल न हो।

बीरबल सिंह अपने कांस्टेबलों और सवारों को पाँच-पाँच गज के फासले पर जुलूस के साथ चलने का हुक्म दे कर खुद पीछे चले गये। पिछली सफों में कोई पचास गज तक महिलाएँ थीं। दारोगा ने उनकी तरफ ताका। पहली ही कतार में मिठुन बाई नजर आयी। बीरबल को विश्वास न आया। फिर ध्यान से देखा,

हम एक जलसा करके आपको जयमाल पहनायेंगे और आपका यशोगान करेंगे।

चौथी ने कहा-आप बिलकुल अँगरेज मालूम होते हैं, जबीं इतने गोरे हैं !

एक बुद्धिया ने आँखें चढ़ा कर कहा-मेरी कोख में ऐसा बालक जन्मा होता, तो उसकी गर्दन मरोड़ देती !

एक युवती ने उसका तिरस्कार करके कहा-आप भी खूब कहती हैं, माता जी, कुत्ते तक तो नमक का हक अदा करते हैं, यह तो आदमी हैं !

बुद्धिया ने झल्ला कर कहा-पेट के गुलाम, हाय पेट, हाय पेट !

इस पर कई स्त्रियों ने बुद्धिया को आड़ हाथों ले लिया और वह बेचारी लज्जित हो कर बोली-अरे, मैं कुछ कहती थोड़े ही हूँ। मगर ऐसा आदमी भी क्या, जो स्वार्थ के पीछे अंधा हो जाय।

बीरबल सिंह अब और न सुन सके। घोड़ा बढ़ा कर जुलूस से कई गज पीछे

छतों पर, छज्जों पर, जँगलों पर, वृक्षों पर दर्शकों की दीवारें-सी खड़ी थीं। बीरबल सिंह को आज उनके चेहरों पर एक नयी स्फूर्ति, एक नया उत्साह, एक नया गर्व झलकता हुआ मालूम होता था। स्फूर्ति थी वृक्षों के चेहरे पर, उत्साह युवकों के और गर्व रमणियों के। यह स्वराज्य के पथ पर चलने का उत्सास था। अब उनको यात्रा का लक्ष्य अज्ञात न था, पथश्रध्यों की भाँति इधर-उधर भटकना न था, दलितों की भाँति इधर-उधर भटकना न था, दलितों की भाँति इधर-उधर भटकना न था। यह घमंड करने और खुश होने की बात नहीं है, शर्म करने और रोने की बात है। स्नान समाप्त हुआ। जुलूस यहाँ से फिर रवाना हुआ।

शब को जब खाक के नीचे सुला कर लोग लौटने लगे तो दो बज रहे थे। मिठुन बाई स्त्रियों के साथ-साथ कुछ दूर तक तो आयी, पर क्रीन्सपाक में आ कर ठिक गयी। घर जाने की इच्छा न हुई। वह जीर्ण, आहत, रक्तरंजित शब, मानो उसके अंतस्तल में बैठा उसे धिक्कार रहा था। पति से उसका मन इतना विरक्त हो गया था कि अब उसे धिक्कारने की भी उसकी इच्छा न थी। ऐसे स्वार्थी मनुष्य पर भय के सिवा और किसी चीज का असर हो सकता है, इसका उसे विश्वास ही न था।

वह बड़ी देर तक पार्क में घास पर बैठी सोचती रही, पर अपने कर्तृत्व का कुछ निश्चय न कर सकी। मैंके जा सकती थी, किन्तु वहाँ से महीने-दो महीने में फिर इसी घर आना पड़ेगा। नहीं, मैं किसी की आश्रित न बनूँगी। क्या मैं अपने गुजर-बसर को भी नहीं कमा सकती? उसने स्वयं भाँति-भाँति की कठिनायों की कल्पना की; पर आज उसकी आत्मा में न जाने इतना बल कहाँ से आ गया। इन कल्पनाओं को ध्यान में लाना ही उसे अपनी कमज़ोरी मालूम हुई।

सहसा उसे इब्राहिम अली की वृद्धा विधवा का खयाल आया। उसने सुना था, उनके लड़के-बाले नहीं हैं। बेचारी बैठी रो रही होंगी। कोई तसल्ली देने वाला भी पास न होगा। वह उनके मकान की ओर चली। पता उसने पहले ही अपने साथ की औरतों से पूछ लिया था। वह दिल में सोचती जाती थी-मैं उनसे कैसे मिलूँगी, उनसे क्या कहूँगी, उन्हें किन शब्दों में समझा ऊँगी। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वह इब्राहिम अली के घर पर पहुँच गयी। मकान एक गली में था, साफ-सुथरा; लेकिन द्वार पर हसरत बरस रही थी। उसने धड़कते हुए हृदय से अंदर कदम रखा। सामने बरामद में एक खाट पर वह वृद्धा बैठी हुई थी, जिसके पति ने आज स्वाधीनता की बेदी पर अपना बलिदान दिया था। उसके सामने सादे कपड़े पहने एक युवक खड़ा, आँखों में आँसू भरे वृद्धा से बातें कर रहा था। मिठुन उस युवक को देख कर चौंक पड़ी-वह बीरबल सिंह थे।

उसने क्रोधमय आश्र्य से पूछा-तुम यहाँ कैसे आये?

बीरबल सिंह ने कहा-उत्साह जैसे तुम आयीं। अपने अपराध क्षमा कराने आया हूँ !

मिठुन के गोरे मुखड़े पर आज गर्व, उत्साह और प्रेम की जो उज्ज्वल विभूति नजर आयी, वह अकथनीय थी! ऐसा जान पड़ा, मानो उसके जन्म-जन्मांतर के कलेश मिट गये हैं, वह चिंता और माया के बंधनों से मुक्त हो गयी है।



बही थी। मिठुन ने उनकी तरफ एक बार देखा और आँखें फेर लीं, पर उसकी एक चित्रवन में कुछ ऐसा धिक्कार, कुछ ऐसी लज्जा, कुछ ऐसी व्यथा, कुछ ऐसी धूम भरी हुई थी कि बीरबल सिंह की देह में अफसरों के सामने जाते। अपने अफसरों पर क्रोध आया। मुझी को बार-बार क्यों इन कामों पर तैनात किया जाता है? और लोग भी तो हैं, उन्हें क्यों नहीं लाया जाता? क्या मैं ही सबसे गया-बीता हूँ। क्या मैं ही सबसे भावशून्य हूँ।

मिठुन इस वक्त मुझे दिल में कितना कायर और नीच समझ रही होगी ! शायद इस वक्त मुझे कोई मार डाले, तो वह जबान भी न खोलेगी। शायद मन में प्रसन्न होगी कि अच्छा हुआ। अभी कोई जा कर साहब से कह दे कि बीरबल सिंह की स्त्री जुलूस में निकली थी, तो कहीं का न रहूँ ! मिठुन जानती है, समझती है, फिर भी निकल खड़ी हुई। मुझसे पूछा तक नहीं। कोई फिरनी नहीं है न, जबीं ये बातें सूझती हैं, यहाँ सभी बेफिर हैं, कालेजों और स्कूलों के लड़के, मजदूर, पेशेवर इन्हें क्या चिंता? मरने तो हम लोगों की है, जिनके बाल-बच्चे हैं और कुल-मर्यादा का ध्यान है। सब की सब मेरी तरफ कैसा धूर रही थीं, मानो खा जायेंगी।

जुलूस शहर की मुख्य सड़कों से गुजरता हुआ चला जा रहा था। दोनों ओर

लीगल अधिकारी की नियुक्ति मुकेश कुमार सिन्हा ने क्यों की

आखिर ऐसा क्या है लीगल मैटर्स में या लीगल अधिकारी की नियुक्ति में की मुकेश कुमार सिन्हा ने सभी कायदे कानून के विरुद्ध जाते हुए राज्य सरकारों की परवाह करे बगैर लीगल ऑफीसर का पद किए कर उस पर कहन्हाया मीना को नियुक्त कर दिया। मीणा की नियुक्ति लीगल विभाग में प्रायोजित आर्थिक घोटाले में सहयोग करने के कारण होना प्रतित होता है।

एनसीए के एक प्रकरण में यह पाया गया कि दिनांक-05.05.2011 को वकीलों के नाम पर लाखों रुपए के बिल का भुगतान और उसका सत्यपित सक्षम अधिकारी ने किया। बील में यह सत्यपित किया गया है दिनांक-05.05.2011 को मध्य प्रदेश कोर्ट जबलपुर के कोर्ट रूम में मुकेश कुमार सिन्हा सिन्हा व अन्य उपस्थित थे जिसका भुगतान सुनवाई की एवज में हुआ। दिनांक-05.05.2011 को न केवल एकरिट पटिशन क्रमांक-14765 / 2007 की सुनवाई का भुगतान किया बल्कि एम सी सी क्रो 288 / 2011 की सुनवाई व पहले और बाद में की वकीलों के साथ डिस्कशन किये जाने के बिलों का भुगतान रूपये 6.5000/- किया गया।

इसी दिन अनेकों अन्य केस जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर दिनांक-05.05.2011 को कथित रूप से सुने गए थे उनका भुगतान भी एनसीए के फंड से कोचर कम्पनी के नाम पर किया गया।

दिनांक	रिटर्निंग	सलाह	सुनवाई	कुल भुगतान
05.5.2011	14765/2007		75000	100000
05.5.2011	6056/07 में एमसीसी क्रो 288/2011		75000	100000

उक्त दोनों याचिकाओं की तैयारी व डिस्कशन के नाम पर दिनांक-3.5.2011व दिनांक-4.5.2011 का रु 300000/- का भुगतान बातचर क्रमांक-280 दिनांक-29.07.2013 को जो रुपये-22,50,000 का भुगतान हुआ उसमें 6,50,000 का भुगतान इसी का है।

इसी दिन चेक नंबर 607870, दिनांक 04.7.2012 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्कीम नंबर 5, विजय नार, इंडैर, रु 68,400/- की राशि (केवल अदसठ हजार चार सौ)। आयकर कटौती रु 7600/- के बाद भुगतान किया दिनांक-05.05.2011 को प्रकरण की सुनवाई हुई इसके नाम पर निम्न भुगतान किये गये-

दिनांक-	रिटर्निंग		कुल भुगतान
05.05.2011	14765/2007	भुगतान 15620/-	रु 68400/- टैक्स 7600/-
05.05.2011	क्र. 6056/2007	भुगतान 43700/-	

एनसीए ने एक कानून मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र सरकुलेट किया था जिसमें यह स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार की क्रांकेस एक माह में तीन से अधिक नहीं होनी चाहिये व उसकी फीस केवल रुपये-300/- की जानी चाहिये। जबकि प्रति क्रांकेस रुपये-75,000/- का भुगतान किया गया। इस मामले की सूचना सीबीआई में होने पर सीबीआई में केस क्रमांक-0082017 एन्ड 00 रजीस्टर्ड किया। सीबीआई के केस रजीस्टर्ड होने के बाद इस प्रकार की क्रांकेस्टीग बंद हो गई।

सीबीआई ने इस मामले में प्रेसिक्यूशन की सेक्शन के लिये कार्यवाही की गई है। इस संबंध में पत्राचार से यह जानकारी सामने आई है कि मुकेश कुमार सिन्हा ने बोर्ड की 88 वीं बैठक में यह मुद्दा उठाया कि एनसीए भारत सरकार के विभाग या उससे जुड़ा या अधीनस्थ कार्यालय नहीं है इस कारण भारत सरकार के नियम लागू नहीं होते हैं हम अपनी सुविधा के अनुसार खर्च कर सकते हैं इस कारण आईटी और सीबीआई को रोका जाए अन्यथा अधिकारी हतोत्साहित होगे।

Pre-Receipt Bill		Pre-Receipt Bill	
Kindly find enclosed herewith a pre-receipt bill towards the fee and expenses in connection of Writ Petition No 14765/07 Narmada Bachao Andolan Vs State of MP & Ors		Kindly find enclosed herewith a pre-receipt bill towards the fee and expenses in connection of Writ Petition No 14765/07 Narmada Bachao Andolan Vs State of MP & Ors	
1. Fee per Appearance Rs 20000/- 05-5-201		1. Fee per Appearance Rs 8000/- 05-5-201	
2. Drafting Charges Rs7500/-		2. Drafting Charges Rs3000/-	
3. Conference Charges Rs 5000/-		3. Conference Charges Rs 1200/-	
4. Misc Charges Rs 4000/-		4. Misc Charges Rs 2000/-	
5. Clerkage Rs 7200/-		5. Clerkage Rs 1420	
Total Rs 43700/-		Total Rs 15620	

VERIFICATION REPORT FOR MAKING PAYMENT READ AS UNDER

Statements showing the details of various Court Cases, pending bills etc. related to "Kochhar & Company, (Shri Syed Naqvi) and Shri Dhermendra Sharma, NCA Counsels

Bill No.	Case No.	Date of conference & hearing	Persons present in hearing	Persons present in hearing	Debrief report
No. K-D/L/1/I/MAY/NC/A/ST-263 (dated 18.8.2011)	W.P. No. 14765 of 2007 IN HIGH COURT, JABALPUR	3.5.2011, 4.5.2011 & 5.5.2011 (conference before & after hearing) & on 5.5.2011 hearing	Director (IA&R), on dtd. 3.5.2011, 4.5.2011 & EM, M(E&R), Director (IA&R)& DD(R)-2, were present during hearing on 5.5.2011 (F/H) page. 21	Executive Member. Member (E&R), Director (IA&R), DD(R)-2 were present during hearing on 5.5.2011 (F/H) page. 21	Not available

इस बात की पड़ताल करने पर यह तथ्य सामने आया कि दिनांक-05.05.2011 को हाई कोर्ट में कोई भी प्रकरण नहीं हुई इस बात का खुलासा हाई कोर्ट में प्रस्तुत एक आरटीआई एल्सीकेशन के जवाब मिला कि दिनांक-05.05.2011 को कोई में कोई प्रोसेर्टिंग्स नहीं हुई एवं ना ही कोई कॉर्ज लिस्ट भी जारी नहीं हुई थी तब यह किस प्रकार संभव हुआ कि एनके सिन्हा व अन्य कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान मौजूद थे बिल सत्यपित हुए और भुगतान वास्तव में हुआ।

लोकधन से नियम विरुद्ध वकील की फीस का भुगतान

Name of the Counsel	M/s Kochhar & Co. on behalf of Shri Syed Naqvi
(A) Writ Petition No. 14765 of 2007 in M.P. High Court Jabalpur.	
Sl. No.	Bill No. and date
	Date of Conference & Appearance
1.	07.4.2011 07.4.2011
	Amount for payment of Conference & Appearance
	75,000/- 1,00,000/-
	Status of payment Conference & Appearance
	Pending Paid
	Balance to be paid for Conference & Appearance
	75,000/- Already recommended vide final report of the Committee dated 03.10.2012
2.	08.4.2011 08.4.2011
	75,000/- -
	20.4.2011
	75,000/- -
	22.4.2011
	75,000/- -
	280 29.7.13 22.5.2012

Name of the Counsel	M/s Kochhar & Co. on behalf of Shri Syed Naqvi
(C) SLP (O) No. 3465 of 2009 before the Supreme Court of India	
Sl.No.	Bill No. and date
	Date of Conference & Appearance
1.	11.5.2011 11.5.2011
	Amount for payment of Conference & Appearance
	75,000/- 1,00,000/-
	Status of payment Conference & Appearance
	Pending Paid
	Balance to be paid for Conference & Appearance
	75,000/- Already recommended vide final report of the Committee dated 03.10.2012
2.	19.7.2011 19.7.2011
	75,000/- -
	20.7.2011 20.7.2011
	75,000/- 1,00,000/-
	Pending Paid
	75,000/- -
	21.7.2011 21.7.2011
	75,000/- 1,00,000/-
	Pending -
	22.7.2011
	75,000/- -
	280 29.7.13 22.5.2012

Name of the Counsel	M/s Kochhar & Co. on behalf of Shri Syed Naqvi
(D) Writ Petition No. MC/200 of 2009 in M.P. High Court Jabalpur.	
Sl.No.	Bill No. and date
1.	07.4.2011 07.4.2011
	Amount for payment of Conference & Appearance
	75,000/- 1,00,000/-
	Status of payment Conference & Appearance
	Pending Paid
	Balance to be paid for Conference & Appearance
	75,000/- Already recommended vide final report of the Committee dated 03.10.2012
2.	08.4.2011 08.4.2011
	75,000/- -
	09.4.2011 09.4.2011
	75,000/- -
	10.4.2011 10.4.2011
	75,000/- -
	11.4.2011 11.4.2011
	75,000/- -
	12.4.2011 12.4.2011
</	

खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम: मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि देश के खिलौना उद्योग में बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है और इसे बढ़ाकर अपनी पहचान बनाने तथा आत्मनिर्भर अभियान में बड़ा योगदान देना जरूरी है। मोदी ने को पहले खिलौना मेला का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।

कोरोना महामारी के कारण देश में पहली बार आयोजित यह मेला भी पूरी तरह से वर्चुअल है। प्रधानमंत्री ने कहा, आप सभी से बात करके ये पता चलता है कि हमारे देश खिलौना उद्योग में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है। इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह खिलौना मेला केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं है यह देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लङ्घन की संस्कृति को मजबूत करने की एक कड़ी है। मेले में कारीगरों और स्कूलों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1,000 से अधिक लोग अपनी प्रदर्शनी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आप सभी के लिए ये एसा मंच होने जा रहा है जहां आप खिलौनों के डिजायन, नवाचार, प्रौद्योगिकी से लेकर मार्केटिंग पैकेजिंग तक चर्चा परिचर्चा भी करेंगे, और अपने अनुभव साझा भी करेंगे।

टॉप पेयर 2021 में आपके पास भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और ई-स्पोर्ट उद्योग के इको सिस्टम के बारे में जानने का अवसर होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, खिलौनों के क्षेत्र में भारत में



परंपरा भी है और प्रौद्योगिकी भी है, भारत के पास कंसेट भी है, और कंपार्टेंस भी है। हम दुनिया को इको फ्रेन्डली खिलौना की ओर वापस लेकर जा सकते हैं, हमारे साफ्टवेयर इंजीनियर इंजीनियर गेम्स के जरए भारत की कहानियों को, भारत के जो मूलभूत मूल्य हैं उन कथाओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस सबके बावजूद, 100 बिलियन डॉलर के वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। देश में 85 प्रतिशत खिलौने बाहर से आते हैं, विदेशों से मंगाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले सात दशकों में भारतीय कारीगरों की, भारतीय विवास की जो उपेक्षा हुई, उसका परिणाम यह है कि भारत के बाजार से लेकर परिवार तक में विदेशी खिलौने भर गए हैं और केवल वो खिलौना नहीं आया है, एक विचार प्रवाह हमारे घर में घुस गया है। भारतीय बच्चे अपने देश के बीचों, हमारे नायकों से ज्यादा बाहर के नायकों के बारे में बात करने लगे।

इस बाढ़ ने, ये बाहरी बाढ़ ने हमारे लोकल व्यापार की बड़ी मजबूत चेन भी तोड़ के रख दी

है, तहस-नहस कर दी है। कारीगर अपनी अगली पीढ़ी को अपना हुनर देने से बचने लगे हैं, वो सोचते हैं कि बेटे इस कारोबार में ना आएँ। आज हमें स्थिति को बदलने के लिए मिलकर काम करना है। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, बोकल फॉर लोकल होना है। इसके लिए हमें आज की जरूरतों को समझना होगा।

हमें दुनिया के बाजार को, दुनिया की प्राथमिकताओं को जानना होगा। हमारे खिलौनों में बच्चों के लिए हमारे मूल्य, संस्कार और शिक्षाएं भी होनी चाहिए, और उनकी गुणवत्ता भी अंतराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस दिशा में देश ने कई अहम फैसले लिए हैं। पिछले वर्ष से खिलौनों की गुणवत्ता जांच को अनिवार्य किया गया है। आयात होने वाले खिलौनों की हर खेप में भी नमूना जांच की इजाजत दी गई है। पहले खिलौनों के बारे में सरकारें बात करने की भी जरूरत नहीं समझती थीं। इसे कोई गंभीर विषय नहीं समझा जाता था। लेकिन अब देश ने खिलौना उद्योग को 24 प्रमुख क्षेत्रों में उसका दर्जा दिया है। राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना भी तैयार की गयी है इसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है ताकि ये उद्योग प्रतिस्पद्ध बने, देश खिलौनों में आत्मनिर्भर बनें, और भारत के खिलौने दुनिया में भी जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस पूरे अभियान में राज्यों को बराबर का भागीदार बनाकर खिलौना कलस्टर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

पूर्व सीजेआई गोगोई के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही नामंजूर

राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही की अनुमति देने से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इनकार कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने इस बाबत आरटीआई (सूचना का अधिकार) कार्यकर्ता साकेत गोखले को जबाबी पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) गोगोई ने न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो टिप्पणियां कीं, वे संस्थान की भलाई के लिए थीं। उससे न्यायपालिका का सम्मान कम नहीं होता। दरअसल, गोखले ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर इन बयानों के लिए गोगोई के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांग की थी।

मेडिकल लापरवाही न होने पर भी मरीज मुआवजे का हकदार

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को एक याचिकार्ता को पांच लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। याचिकार्ता की बेटी की मौत सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने

कहा, 'भले अस्पताल ने कोई मेडिकल लापरवाही न बरती हो।' लेकिन मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती रहा है तो सरकार का दायित्व है कि वह पीड़ित परिवार को मुआवजा दे। यह बात उपचार के दौरान चेट पहुंचने या ऐसे अन्य किसी कारण से मौत होने पर भी लागू होनी चाहिए।' बता दें कि याचिकार्ता की आठ साल की बेटी टॉन्सिल्स से पीड़ित थी। उसे अरुप्पुकोर्ट के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था। लड़की का ऑपरेशन किया जाना था। इसके लिए एनेस्थेशिया दिया गया। इसी बीच कॉम्प्लिकेशन के कारण पहले वह कोमा में चली गई। बाढ़ में उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने पाया कि लड़की को दी गई दवा आंतरिक तौर पर खतरनाक नहीं थी। लेकिन कुछ बीमारियों में इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। लिहाजा, इस मामले को डॉक्टरों की लापरवाही नहीं माना गया। परं पीड़ित पक्ष को मुआवजे का हकदार जरूर समझा गया।

दुख है कि भारत में लोकतंत्र मर गया है: राहुल गांधी

तूतबुड़ी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को तूतबुड़ी जिले पहुंचे हैं। तूतबुड़ी में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार संवेदनाकारी संस्थाओं को बर्बाद कर रही है। इसके चलते लोगों को संसद और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रहा। राहुल ने कहा कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं, इसलिए भाजपा मुझसे डरती है। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, मैं न्यायपालिका के साथ-साथ में भी महिला आरक्षण का पूरी तरह समर्थन करता हूं।



उन्होंने कहा कि भारत के पुरुषों को महिलाओं के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है। वे महिलाओं को भी उस नजर से देखें, जिससे स्वयं को देखें हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस देश के सेक्युरिटी पर हमला कर रहे हैं। ये न केवल सविधान बल्कि हमारे इतिहास और संस्कृति पर भी हमला कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ने का जरूरत है। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीओसी कॉलेज में चिंदंबरनार की मरुति पर माल्यार्पण भी किया। राहुल गांधी ने तीन दिन के तमिलनाडु के दौरे पर हैं। बता दें कि तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें के लिए 6 अप्रैल को चुनाव होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे।

दुख है कि भारत में लोकतंत्र मर गया है क्योंकि एक संस्था आरएसएस हमारे देश के संस्थान संतुलन को बिगड़ा रखा है। इसके चलते आलम यह हो गया है कि संसद और न्यायपालिका पर किसी का भरोसा नहीं बचा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी

इंटरनेट का कंटेंट ब्लॉक करने की नीति नई नहीं, 2009 से ही जारी : केंद्र

नई दिल्ली। डिजिटल मीडिया की नई गाइडलाइंस के तहत आपतकालीन स्थिति में इंटरनेट पर कंटेंट ब्लॉक करने का नियम नया नहीं है। साल 2009 से यह नियम जारी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ब्यान जारी कर यह जानकारी दी। केंद्र ने यह भी कहा कि डिजिटल मीडिया की गाइडलाइंस में कोई नया प्रावधान नहीं है। विषय की आपति के बाद केंद्र ने वह सफाई की है। विषय का कहना है कि सरकार खुद को ऐसी शक्तियों से लैस करना चाहती है, जिससे पब्लिक प्लेटफॉर्म को अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलेगा। बता दें कि केंद्र ने को इनकॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी (गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स 2021 जारी किया था। हालांकि केंद्र के स्पष्टीकरण के बावजूद कांग्रेस प्रवक्ता अभियक्ति की मनु सिंघवी ने कहा है कि सरकार का रखेगा अभियक्ति की स्वतंत्रता और रचनात्मकता के लिए खतरा है।

निजीकरण का विटो, बैंककर्मियों का प्रदर्शन

इंदौर-बैंकों के निजीकरण व केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में सभी बैंककर्मी यूनियनों के सदस्यों द्वारा शनिवार को रेसकोर्स रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास धरन